पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001:
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

PPVFR Act 2001:
Frequently Asked Questions

संशोधित संस्करण 2021

23 फरवरी, 2021 अद्यतन किया गया

सत्यमेव जयते

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India

एनएएससी, सोसाइटी ब्लॉक, द्वितीय तल, डीपीएसमार्ग, नई दिल्ली–110012, भारत

NASC, Societies Block, 2nd Floor, DPS Marg,New Delhi-110012, India

Website: www.plantauthority.gov.in

संकलन/ Compiled by

डॉ. आर.सी. अग्रवाल/ Dr. R.C. Agrawal
डॉ. रवि प्रकाश/ Dr. Ravi Prakash
डॉ. टी.के. नागरत्ना/ Dr. T.K. Nagarathna
श्री राज गणेश/ Shri Raj Ganesh
श्री दीपल रॉय चौधरी/ Shri Dipal Roy Choudhury
श्री उमा कान्त दुबे/ Shri Uma Kant Dubey
श्री आर.एस. सेंगर/ Shri R.S. Sengar
डॉ. ए.के. सिंह/ Dr. A.K. Singh
डॉ. डी.एस. पिलानिया/ Dr. D.S. Pilania

I संशोधित एवं संपादन/Revised and Editing by

श्री राज गणेश/ Shri Raj Ganesh
श्री दीपल रॉय चौधरी/ Shri Dipal Roy Choudhury
डॉ. टी.के. नागरत्ना/ Dr. T.K. Nagarathna
डॉ. रवि प्रकाश/ Dr. Ravi Prakash
डॉ. के.वी. प्रभु/Dr. K.V. Prabhu

II संशोधित एवं संपादन/ Revised and Editing by

श्री राज गणेश/ Shri Raj Ganesh
श्री दीपल रॉय चौधरी/ Shri Dipal Roy Choudhury
डॉ. टी.के. नागरत्ना/ Dr. T.K. Nagarathna
डॉ. के.वी. प्रभु/Dr. K.V. Prabhu

सर्वाधिकार–©पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली-110012
Copyright – © Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, New Delhi-110 012
संशोधित संस्करण 2021 /Revised Edition 2021
23 फरवरी, 2021 अद्यतन किया गया/ Updated on 23 February, 2021

अस्वीकरण

यह दस्तावेज वैधानिक दस्तावेज नहीं है तथा इसका उपयोग पीपीवीएफआर अधिनियम की वैधानिक व्याख्या के लिए नहीं किया जा सकता है। इसकी विषय–वस्तु का उद्देश्य केवल पीपीवीएफआर अधिनियम (2001) के प्रावधानों की व्याख्या के संदर्भ में प्रश्नों का उत्तर देना है। **वैधानिक कार्यवाहियों में उपयोग के लिए नहीं।**

प्रथम संस्करण (2019) का आमुख

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी और एफआरए), 2001 (2001 का 53) जो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) से संबंधित समझौते के अंतर्गत भारत के एक दायित्व के रूप में लागू किया गया था, के प्रमुख उद्देश्य पौधा किस्मों और किसानों व पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रणाली उपलब्ध कराना; किसी भी समय नई पौधा किस्मों के विकास हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व सुधार हेतु उपलब्ध कराने के लिए उनके संरक्षण व सुधार में किसानों के योगदान के संदर्भ में उनके अधिकारों को मान्यता देना व सुरक्षा उपलब्ध कराना; देश में कृषि विकास में तेजी लाने में योगदान देना; पादप प्रजनकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना; पौधा किस्मों के विकास हेतु सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के लिए निवेश को बढ़ाना; और बीज उद्योग की वृद्धि में सुविधा प्रदान करना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत बीज अधिनियम, 1966 के अधीन नई, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (ईडीवी), अधिसूचित विद्यमान किस्मों; उन विद्यमान किस्मों जिनके बारे में सामान्य ज्ञान हो (वीसीके) और कृषक किस्मों को पंजीकृत कराया जा सकता है, बशर्ते कि वे विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व (डीयूएस) मानदंडों को पूरा करती हो और उनका एक व विशिष्ट नाम हो। अधिनियम के अंतर्गत पौधा किस्मों के पंजीकरण में प्रमुख चरणों में शामिल हैं : आवेदन दाखिल करना, आवेदन की जांच करना और उपयुक्त डीयूएस परीक्षण करना, डीयूएस परीक्षण परिणामों का मूल्यांकन करना, आपत्तियां, यदि कोई हों तो उन्हें निर्धारित समय–सीमा में आमंत्रित करने के लिए पासपोर्ट आंकड़ों को भारतीय पौधा किस्म जर्नल (पीवीजेआई) में प्रकाशित करना और आवेदक/प्रजनक को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया जाना। पंजीकरण का यह प्रमाण–पत्र आरंभ में वृक्षों और लताओं के मामले में नौ वर्ष तथा अन्य फसलों के मामले में छह वर्ष के लिए वैध होगा और निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् इसे बाद की अवधि के लिए नवीकृत कराया जा सकता है। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की वैधता की कुल अवधि किस्म के पंजीकरण की तिथि से वृक्ष और लताओं के मामले में 18 वर्ष तथा अन्य फसलों के मामले में 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आवेदकों ने अधिनियम से संबंधित विभिन्न प्रावधानों, पंजीकरण की प्रक्रिया, डीयूएस परीक्षण, वार्षिक शुल्क, नवीकरण शुल्क, पंजीकरण के बाद के उत्तरदायित्वों, लाइसेंसधारियों के पंजीकरण, जनक वंशक्रमों के परीक्षण, बीज के प्रस्तुतीकरण आदि के बारे में अनेक प्रश्न किए हैं। प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों की यह पुस्तिका निश्चित रूप से शंकाओं का समाधान करने, आवेदकों के मुद्दों को हल करने और आसानी से पीवीपी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन दाखिल करने में सहायक सिद्ध होगी। मैं महापंजीयक डॉ. आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में उनके दल के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं जिसके परिणामस्वरूप इस अनोखे अधिनियम के बारे में और अधिक ज्ञान उपलब्ध कराने व नेतृत्व को विस्तृत करने के लिए दो भाषाओं में यह संकलन तैयार किया गया है। यदि पाठक की कोई अन्य शंकाएं भी हों जिनका उत्तर दिया जाना हो तो वे पीपीवी और एफआर प्राधिकरण से इस संबंध में सम्पर्क करें, ताकि भावी संस्करण में उन्हें शामिल किया जा सके।

22 अक्तूबर 2019

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

संशोधित संस्करण 2020 का आमुख

वर्ष 2020 के आरंभ में किसान आधारित कुछ संगठनों और स्वयं सेवी संगठनों (एनजीओ) ने पूर्व संस्करण में प्रकाशित किसानों के अधिकारों से संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे उठाए थे जो आभासी रूप से अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं थे जिससे अधिनियम की गलत व्याख्या हुई। वास्तव में वे सही थे और इसलिए वह संस्करण वापस ले लिया गया। यह निर्णय लिया गया कि उसका पुनरावलोकन किया जाए और अधिनियम के प्रावधानों की वह व्याख्या की जाए जो सूचना को प्रत्यक्ष रूप से लागू करने के लिए व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित हुई हो। इसलिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों की पुस्तिका को संशोधित किया गया तथा प्राप्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए पांच सदस्यों ने इसका संपादन किया। मुझे पूरी आशा है कि पीपीवी और एफआरए 2001 में किसानों, पादप प्रजनकों तथा उनकी पौधा किस्मों पर प्रावधानों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अब स्पष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार, सभी हितधारक इस अधिनियम का सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग करने में सक्षम होंगे।

5 अगस्त 2020

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 : भूमिका

पादप किस्मों, कृषक के अधिकारों व पादप प्रजनकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने हेतु यह आवश्यक समझा गया कि पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार व उन्हें उपलब्ध कराने में किसी भी समय किसानों द्वारा किए गए योगदान के लिए उनके अधिकारों को सुरक्षा दी जाए तथा मान्यता प्रदान की जाए। इस उद्देश्य से भारत सरकार ने *स्यू जेनेरिस* प्रणाली अपनाते हुए 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम, 2001' लागू किया। भारतीय विधान में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रजनन संस्थाओं और किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। यह विधान पादप प्रजनन संबंधी कार्यों में वाणिज्यिक स्तर के पौधा प्रजनकों और किसानों, दोनों के योगदानों को मान्यता देता है और सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों व अनुसंधान संस्थाओं और इसके साथ ही न्यून संसाधन वाले किसानों सहित सभी हितधारकों के विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक हितों की 'ट्रिप्स'(TRIPS) के कार्यान्वयन में सहायता उपलब्ध कराता है।

उद्देश्य

- पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु पादप प्रजनक के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना।
- देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

प्राधिकरण के सामान्य कार्य

- नई पौधा किस्मों, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (ईडीवी), विद्यमान किस्मों का पंजीकरण;
- नई पौधा स्पीसीज (Species) के लिए डीयूएस (विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व) परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास;
- पंजीकृत किस्मों के लक्षणों का विकास व उनका प्रलेखन;
- पौधों की सभी किस्मों के लिए अनिवार्य सूचीपत्रकरण संबंधी सुविधाएं;
- कृषक किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण व सूचीपत्रकरण;
- विशेष रूप से कृषकों, कृषक समुदायों को सम्मानित और पुरस्कृत करना;

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर

क्र.सं.	प्रश्न एवं उत्तर
	पीपीवी और एफआर अधिनियम
1.	**भारत में पौधा किस्मों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है?** भारत उस विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) का एक संस्थापक सदस्य है जिसकी स्थापना 'विश्व व्यापार संगठन स्थापित करने के लिए मराकेश समझौते' के माध्यम से की गई थी और जिसे लागू करने हेतु मराकेश, मोरक्को में 1995 में विश्व व्यापार से संबंधित अनेक राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। ये दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वैधानिक मूल नियम उपलब्ध कराते हैं जिसके प्रति व्यापार के मामलों में सभी सदस्य राष्ट्र प्रतिबद्ध हैं। 'ट्रिप्स' समझौता इन दस्तावेजों में मौजूद उन अनेक समझौतों में से एक है जो मराकेश समझौते के परिशिष्ट एकसी(1C) में दर्ज है। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर **समझौता** (ट्रिप्स) डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य राष्ट्रों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक समझौता है। *ट्रिप्स समझौता* एक न्यूनतम मानक समझौता है जिसके अंतर्गत सदस्यों को, यदि वे चाहते हैं तो बौद्धिक सम्पदा की और अधिक गहन सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। 2005 से और उसके बाद भारत के लिए ट्रिप्स समझौता वाध्यकारी हो गया, क्योंकि देश में ट्रिप्स को घरेलू विधान से सुसंगत बनाने के लिए 10 वर्ष की परिवर्तन अवधि (1995–2005) निर्धारित की है। ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि पौधा किस्मों और प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान करे। इसके अनुपालन में भारत सरकार ने एक प्रभावी *स्यू जेनेरिस* प्रणाली अपनाने का विकल्प चुना, ताकि देश में किसानों के अधिकारों के साथ–साथ पौधा किस्मों पर पादप प्रजनकों के अधिकारों की भी सुरक्षा हो सके। ऐसा भारत की संसद द्वारा 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 या पीपीवी और एफआरए, 2001 पर विधेयक पारित करते हुए अधिनियम बनाकर किया। वर्ष 2003 में नियम बनाए गए और 11 नवम्बर 2005 को प्राधिकरण की स्थापना हुई।
2.	**पौधा किस्मों की सुरक्षा का क्या अर्थ है?** पौधा किस्मों की सुरक्षा का अर्थ है कि कोई भी पंजीकृत प्रजनक (स्वामी) की अनुमति के बिना ऐसी सुरक्षित (पंजीकृत) पौधा किस्म के बीज अथवा रोपण सामग्री को किसी भी रूप में बेच, निर्यात, आयात या उत्पन्न नहीं कर सकता है। पौधा किस्मों की सुरक्षा एक बौद्धिक सम्पदा अधिकार है जो प्रजनक (यह कोई व्यक्ति, किसान, कृषक समुदाय या सरकार हो सकते हैं) स्वामी के रूप में किसी किस्म के नाम के साथ–साथ किस्म के बारे में यह अधिकार भी रखता है कि वह अधिकार प्रजनक के पास तब तक रहेगा जब तक कि वह किसी अन्य को नहीं सौंपता है। ऐसा वह सुरक्षा की पूरी अवधि के लिए कर सकता है, ताकि किसी भी अन्य व्यक्ति को उस किस्म से आर्थिक लाभ उठाने से वंचित रखा जाए या ऐसे किसी भी अधिकार से वंचित रखा जाए जो प्रजनक को प्राप्त है। उस प्रजनक की अनुमति के बिना यह कुछ भी नहीं किया जा सकता जिसके नाम से किस्म पंजीकृत है। पौधा किस्म की सुरक्षा का यह अर्थ भी है कि पंजीकृत प्रजनक सहित कोई भी उसी नाम से कोई अन्य किस्म नहीं बेच सकता है अथवा किसी अन्य नाम से भी सुरक्षित किस्म को नहीं बेच सकता है क्योंकि ऐसा करना अधिनियम का उल्लंघन है तथा दंडनीय है।
3	**पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के क्या उद्देश्य हैं?** (i) पौधा किस्मों, कृषकों और पौधा प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना

	(ii) पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों को सुरक्षित करने, सुधारने व उन्हें उपलब्ध कराने में किए गए योगदानों के संबंध में कृषक के अधिकारों को मान्यता व सुरक्षा प्रदान करना (iii) पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु पौधा प्रजनकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना।
4.	**पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अनुसार पौधा किस्म क्या है?** किस्म को इस प्रकार परिभाषित किया गया है : ज्ञात वानस्पतिक जाति या उप जाति के अंतर्गत एक साथ आने वाले पौधों का वह समूह जिसे (i) पौधों के समूह के निर्धारित जीनप्ररूप के परिणामस्वरूप गुणों की अभिव्यक्ति द्वारा परिभाषित किया जा सके। (ii) कम से कम अपने एक गुण की अभिव्यक्ति में भेद के आधार पर पौधों के किसी भी अन्य समूह से विभेदित किया जा सके। (iii) प्रवर्धित किए जाने की उपलब्धता के संबंध में एक इकाई माना जा सके जो ऐसे प्रवर्धन के बाद भी अपरिवर्तित बनी रहे। किसी पौधा किस्म में नई किस्म, विद्यमान किस्म, पराजीनी किस्म, कृषक किस्म और अनिवार्य से व्युत्पन्न किस्म (ईडीवी) की प्रवर्धन सामग्री शामिल है।
5.	**क्या कोई पौधा किस्म भारत के पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित कराई जा सकती है?** नहीं, पौधा किस्म भारत के पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित नहीं कराई जा सकती है।
6.	**पेटेंट अधिनियम तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम में क्या अंतर है?** दोनों ही अधिनियम आविष्कारक के बौद्धिक सम्पदा अधिकार से संबंधित हैं। भारत के पेटेंट अधिनियम में किसी पौधे या इसके भागों अथवा अंगों के पेटेंटीकरण के माध्यम से पौधा किस्म को सुरक्षा देने का प्रावधान नहीं है। पीपीवी और एफआरए में न केवल पौधा किस्म को सुरक्षा दी गई है बल्कि इसमें पौधा प्रजनकों व किसानों के पौधे की किस्मों के अधिकारों को सुरक्षा दी गई है। किसी पौधा किस्म को यह सुरक्षा उसके पंजीकरण द्वारा प्रदान कराई जाती है।
7.	**क्या भारत से बाहर के आवेदक भी पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत अपनी किस्म के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं?** हाँ, किसी पौधा किस्म का पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया भारतीय नागरिक तथा विदेशियों के लिए एक समान है। तथापि, विदेशी आवेदक को पौधा किस्म के पंजीकरण हेतु आवेदन करते समय सेवा के लिए भारत में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पता देना होगा।
8.	**राष्ट्रीय जीन निधि क्या है और इसका संचालन किस प्रकार होता है?** (1) राष्ट्रीय जीन निधि की स्थापना केन्द्र सरकार के द्वारा की गई है और इसमें निम्न साधनों से धनराशि एकत्र होती है। (क) किसी किस्म के प्रजनक या इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म से प्राप्त की गई लाभ में भागेदारी की राशि (ख) पंजीकृत प्रजनक/उसके एजेंट द्वारा अदा किए गए वार्षिक शुल्क की रॉयल्टी का घटक

	(ग) किसी दोषी पंजीकृत प्रजनक/एजेंट/लाइसेंसधारक द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में जमा की गई वह राशि जो प्राधिकरण द्वारा कृषक/समुदाय को प्रदान की जाती है। (घ) किसी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा कम्पनियों के सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsiblity) जैसे अन्य स्रोतों द्वारा राष्ट्रीय जीन निधि में दिया गया योगदान। (2) राष्ट्रीय जीन निधि का उपयोग निम्नानुसार किया जा सकता है: (क) लाभ में भागीदारी की गारंटी के लिए पंजीकृत प्रजनक, एजेंट/लाइसेंस धारक, जैसा भी मामलो हो, द्वारा बकाया जमा की गई राशि के भुगतान के लिए (ख) पंजीकृत प्रजनक/एजेंट/लाइसेंसधारक, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्वीकृत किए गए दावे की जमा की गई राशि से दावेदार किसानों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए (ग) पंचायतों को संरक्षण का टिकाऊ उपयोग जैसे कार्यों को करने के लिए उनकी क्षमताओं को सबल बनाने हेतु स्वस्थाने (in-situ) व बहिर्स्थाने (ex-situ) संकलनों सहित आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग में सहायता पर आने वाले व्यय के लिए (घ) लाभ में प्रभावी भागेदारी से संबंधित किसी भी योजना/योजनाओं पर होने वाले व्यय के लिए
9.	**समझौता वाले देशों के करार से भारत में सार्वजनिक और/अथवा निजी क्षेत्र को क्या लाभ हैं?** भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यहां कराए गए पंजीकरण के आधार पर सम्मेलन वाले देश में पंजीकरण कराने में सक्षम होंगे या सम्मेलन वाले देश के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र भारत में भी पंजीकरण करा सकेंगे। इससे एकल पंजीकरण के कारण समय और धन की बचत होगी और वे सम्मेलन वाले देश में अन्य पंजीकरण प्राप्त कर सकेंगे।
10.	**क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के बीच लाभ में भागेदारी के प्रावधानों में क्या अतिव्यापन (ओवरलैप) है?** ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 में लाभ में भागेदारी केवल पंजीकृत किस्मों के लिए लागू होती है और इसके अलावा लाभ में भागेदारी के लिए दावा भारतीय पौधा किस्म जरनल में दिए गए विज्ञापन की तिथि से छह माह की अवधि में दाखिल किया जाना चाहिए और वह भी कृषक किस्म से संबंधित जीनोम योगदान पर प्राधिकरण द्वारा तय किए गए मूल्य के अनुसार प्रकाशित हुई। नई पंजीकृत किस्म के विकास में फसल स्पीसीज के किसी संरक्षित या अनुरक्षित जीनप्ररूप के उपयोग के आधार पर होना चाहिए, जबकि जैव–विविधता के अंतर्गत लाभ में भागेदारी वनस्पति जगत या प्राणि जगत के वाणिज्यीकरण में सामग्री तक पहुंच या लाभ में भागेदारी पर लागू होती है और इसे जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के समय स्वीकृत किया जाता है।
11.	**क्या सार्वजनिक क्षेत्र में किसी सामग्री के संदर्भ में पीपीवी और एफआर अधिनियम तथा खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) के प्रावधानों में कोई समानता है?** विभिन्न नियमों व शर्तों के साथ पहुंच तथा लाभ में भागेदारी की सुविधा के अलावा पादप आनुवंशिक सामग्री की सम्प्रभुत्ता के अधिकारों को मान्यता देने तथा किसानों के अधिकारों को मान्यता देने, जिन दोनों में क्रमशः प्रत्येक अधिनियम/संधि की विशिष्ट व्याख्याएं की गई हैं, दोनों कार्यात्मक रूप से या परिचालन में एक–दूसरे से भिन्न हैं। पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 भारत में पादप प्रजनकों को बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रदान करता है। तद्नुसार सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री का उपयोग नियम के उल्लंघन के भय के बिना कोई भी कर सकता है और इस

	प्रकार यह आईटीपीजीएफआरए से इस मामले में भिन्न है।
	कृषक अधिकार एवं कृषक किस्म
12.	**पीपीवी और एफआर अधिनियम के अनुसार कृषक या किसान कौन है?** कृषक कोई भी व्यक्ति है जो – (i). अपनी भूमि में स्वयं खेती करके फसलें उगाता है; या (ii). किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से खेती अथवा भूमि का अप्रत्यक्ष देखरेख (सुपरविज़न) करते हुए फसलें उगाता है; या (iii). किसी वन्य जाति या परंपरागत किस्म को स्वयं अथवा संयुक्त रूप से संरक्षित या परिरक्षित करता है अथवा वन्य जाति या परंपरागत किस्मों के उपयोगी गुणों के चयन और पहचान के माध्यम से उनका मूल्यवर्धन करता है।
13.	**कृषक किस्म क्या है?** 'कृषक किस्म' वह किस्म है जो – (i). परंपरागत रूप से उगाई गई हों (आधुनिक पादप प्रजनन उपायों से किस्मों को उगाने से पूर्व उगायी जाती रही हों) और अथवा किसानों द्वारा उनके खेतों में विद्यमान परंपरागत किस्म की समूह के चयन (चयनों) द्वारा विकसित की गई हों; अथवा (ii) ऐसी वन्य संबंधी भू–प्रजाति अथवा किस्म हो जिसके बारे में किसानों को सामान्य (परंपरागत) ज्ञान हो।
14.	**कृषक किस्म की श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण हेतु कौन सी किस्में पात्र हैं?** वे किस्में जो किसानों द्वारा उनके खेतों में प्राकृतिक रूप से विकसित किए गए प्रकार के चयन के आधार पर परंपरागत रूप से उगाई या विकसित की गई हों अथवा वे किस्में जो वन्य संबंधी या भू–प्रजाति हैं और जिनके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है। समुदाय या ग्राम द्वारा अनुरक्षित की जा रही परंपरागत किस्मों या भूप्रजातियों के मामले में ये अधिकार पूरे समुदाय के होंगे और इनमें खेती के लिए 15 या 18 वर्ष की अवधि, जैसा भी मामला हो, की सीमा नहीं होगी। तथापि ऐसी परंपरागत या भूप्रजातियों में विकसित किए गए प्रकार के चयन के मामले में व्यक्तिगत किसान के साथ प्रकार के चयन के अस्तित्व के सामान्य ज्ञान की अवधि, जैसा भी मामला हो, को अधिक से अधिक 15 या 18 वर्ष तक सीमित रखते हुए मान्यता दी जाएगी। ऐसा सामान्य ज्ञान की विद्यमान किस्म के अंतर्गत पंजीकरण के उद्देश्य से किया जाएगा।
15.	**कृषक द्वारा प्रजनित कोई नई किस्म किस श्रेणी में पंजीकृत की जाती है?** अन्य किस्मों या आनुवंशिक स्टॉक का उपयोग करके विविधता सृजन के द्वारा प्रजनन क्रियाविधियों को अपनाते हुए नई किस्म के रूप में विकसित या प्रजनित किस्म को प्रजनन सामग्री के जनकों के रूप में उपयोग में लाए जाने का खुलासा किया जाना चाहिए अथवा चयन के लिए अन्य उपायों से उसमें विविधता लाई गई हो तो उसे प्रजनक द्वारा प्रजनित किसी अन्य नई किस्म के रूप में, इस अधिनियम के अंतर्गत, श्रेणीकृत किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि सभी उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के मामले में ऐसी किस्म को वैसा ही माना जाएगा जैसा किसी अन्य प्रजनक की किस्म को माना जाता है और उसे नई किस्म या विद्यमान किस्म, जैसा भी मामला हो, के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए डीयूएस परीक्षण क्रियाविधियों और औपचारिकताओं का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाएगा। यहां किसान को अन्य प्रजनकों के साथ बिना अंतर के प्रजनक माना जाएगा।
16.	**क्या इसका तात्पर्य है कि पादप प्रजनक (किसान नहीं) द्वारा परंपरागत किस्म या भू–प्रजाति में किए गए चयन को नई किस्म के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है?** हाँ।

	ऐसा तब तक नहीं हो सकता है जब तक प्रजनक सह विकासकर्ता या लाभार्थी की स्वीकृति के साथ किसान या समुदाय का नाम नहीं बताता है अथवा ऐसा कोई प्रमाण हो कि उस किस्म को परंपरागत किस्म से पादप प्रजनन की अन्य युक्ति के द्वारा व्युत्पन्न समष्टि से विविधता उत्पन्न करते हुए कृत्रिम रूप से सृजित किया गया है। इस प्रजनन युक्ति में प्राकृतिक रूप से उगाई गई परंपरागत किस्म का साधारण चयन, जैसे संकरण, उत्परिवर्तन, बैक क्रास प्रजनन, अनुक्रमण, समष्टि सुधार संकर आदि जैसी चयन की अन्य साधारण विधियां शामिल हैं। इसके साथ परवर्ती पीढ़ियों की चयन सहित बारंबार संतति छंटाई की जानी चाहिए। ऐसे में प्रजनक द्वारा प्रजनित किसी नई किस्म के पंजीकरण की कोई संभावना नहीं है क्योंकि किस्म के परंपरागत संरक्षण में किसानों की भूमिका की उपेक्षा की गई है। ऐसे मामले में किसानों के हित की सदैव सुरक्षा की जाएगी और ऐसा स्थानीय पंचायत व राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सहायता से किया जाएगा। ऐसी किस्मों को विरासत के प्रमाण के आधार पर किसानों के समूह के समुदाय नाम पर सुरक्षित किया जा सकता है।
17.	**क्या कृषक/किसान समुदाय प्राधिकरण मुख्यालय अथवा इसकी शाखाओं में कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु सीधे आवेदन दाखिल कर सकता है?** नहीं। किसी किसान या कृषक समुदाय को कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु अपने आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भा.कृ.अ.प. के फसल आधारित संस्थानों अथवा कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से अपनी संबंधित पंचायतों के द्वारा सत्यापित कराना होगा। इन विश्वविद्यालय/संस्थान/कृषि विज्ञान केन्द्रों के अधिकार क्षेत्र में वह पंचायत होनी चाहिए। ऐसा कृषक किस्मों की सुरक्षा की प्रक्रिया आरंभ किए जाने के लिए आवश्यक है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भा.कृ.अ.प. के संस्थानों का फसल विशेषज्ञ प्रजनक यह प्रमाणित करेगा कि शुद्धता और समरूपता के लिए बीज सामग्री एक मौसम में किसान के खेत में अथवा उस संस्थान में उगाई गई है। इसके अतिरिक्त आवेदन पर राज्य कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक अनुसंधान/भा.कृ.अ.प. के संस्थान के निदेशक या प्रधान समन्वयक के प्रति हस्ताक्षर होने चाहिए और उसके बाद ही अगला मौसम आने पर उसे आवेदन प्रेषित करने हेतु प्रोटोकॉल में वर्णित क्रियाविधि के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
18.	**क्या किसान द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तावित या पंजीकृत किस्म पादप प्रजनक के रूप में किसान सहित पादप प्रजनकों द्वारा प्रजनित आधुनिक रूप से भिन्न है?** (i). हाँ। कृषक किस्म, पादप प्रजनक की किस्म से स्पष्ट रूप से भिन्न है। पादप प्रजनक किस्म उन्नत सस्यविज्ञानी गुणों जैसे बौनेपन, अगेती परिपक्वता, अनुकूलनशील कार्यिकी गुणों, रोगों व नाशकजीवों के विरुद्ध प्रतिरोधी गुणों, फर्टिगेशन और सिंचाई आदि के प्रति अधिक अनुक्रियाशील होने के साथ–साथ अधिक उत्पादक होती है, जबकि कोई विशेष कृषक किस्म या तो स्वयं भू–प्रजाति होती है (समुदाय द्वारा सामुदायित किस्म के रूप में दावा की गई) अथवा क्षेत्र में किसानों द्वारा लंबे समय तक उगाई गई भूप्रजाति या परंपरागत किस्म में पहचान किए गए प्राकृतिक उत्परिवर्तक के रूप में होती है, लेकिन उसमें भूप्रजाति अथवा परंपरागत किस्म के ज्ञात गुणों में से एक या दो गुण भिन्न होते हैं। (ii). ऐतिहासिक रूप से कृषक किस्म या भूप्रजाति उत्पादन संबंधी निष्पादन अथवा प्रजनक (पादप प्रजनक के रूप में किसान सहित) द्वारा पादप प्रजनन प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रजनित उन्नतशील किस्म के गुण अभिव्यक्ति की भिन्नता के रूप में उत्पादकता संबंधी निष्पादन में कभी भी उसके समान नहीं हो सकती है। तथापि, उसमें किस्म में मौजूद वे परंपरागत मूल्य बने रहते हैं जिनके लिए स्थानीय क्षेत्र में किसानों द्वारा परंपरा से लम्बी अवधि से उस किस्म को उगाया जा रहा है भले ही उसकी उत्पादकता पादप प्रजनकों द्वारा प्रजनित आधुनिक उच्च उपजशील किस्मों की तुलना में कम हो।

	(iii). उपरोक्त (ii) यह कारण है कि क्यों किसी विशिष्ट कृषक किस्म के मामले में डीयूएस परीक्षण नहीं किया जाता है और न ही यह परीक्षण दो वर्षों के लिए किया जाता है बल्कि इसके स्थान पर समष्टि की एकरूपता और शुद्धता के लिए एक वर्ष का ग्रो आउट परीक्षण किया जाता है और ऐसा क्षेत्र में स्थित भा.कृ.अ.प. के फसल विशेष संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान, जहां फसल सुधार/पादप प्रजनन संबंधी कार्य किया गया हो, से प्राप्त तकनीकी सूचना के आधार पर सुनिश्चित करते हुए किया जाता है।
19.	**क्या कृषक किस्मों को पंजीकरण शुल्क और डीयूएस परीक्षण शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है?** हाँ। कृषक किस्मों की परिभाषा को पूरी करने वाली कृषक किस्मों के लिए आवेदनों के मामले में सभी शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। तथापि, कृषक किस्म को पंजीकृत कराने में शामिल प्रक्रियाओं के वार्षिक शुल्क को छोडकर अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण या पंजीयक या न्यायाधीकरण या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले किसी अन्य मुकदमे के लिए शुल्क का भुगतान देय नही है।
20.	**कृषकों के क्या अधिकार हैं?** **कृषक अधिकार** (i) कोई भी किसान किसी भी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी पादप प्रजनक के समान माने जाने का पात्र है, बशर्ते कि उसने किसी पादप प्रजनन क्रियाविधि अथवा भूप्रजाति या परंपरागत किस्म में प्राकृतिक रूप से विद्यमान विविधता (प्राकृतिक उत्परिवर्तक) का उपयोग करते हुए स्रोतजनकों या आरंभिक समष्टि से गैर–परंपरागत किस्म (भूप्रजाति सहित) को शामिल करते हुए कोई पादप किस्म विकसित की हो जिसमें पहले से उगाई जा रही किसी भू–प्रजाति या परंपरागत किस्म का उपयोग हुआ हो। ऐसे मामले में किसान भी पंजीकरण तथा अन्य सुरक्षा के मामले में किसी अन्य पादप प्रजनक के समान अधिकारों का पात्र होगा। **कृषक अधिकार** (ii) किसी कृषक किस्म के मामले में कोई किसान अथवा कृषक समुदाय विद्यमान श्रेणी के अंतर्गत भी कृषक किस्म के पंजीकरण हेतु विचार किए जाने का पात्र होगा। बशर्ते कि ऐसी परंपरागत किस्म या भूप्रजाति एक वर्ष से अधिक समय तक उगाई जाती रही हो और समुदाय को लंबे समय से उसका सामान्य ज्ञान रहा हो। ऐसे दावे के लिए दिया जाने वाला आवेदन नई किस्म के पंजीकरण हेतु उपयोग में आने वाले आवेदन से भिन्न होगा। कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन में धारा 18 की उप धारा (1) के उपबंध (h) में निर्धारित घोषणा होनी चाहिए। **कृषक अधिकार** (iii) कोई भी वह किसान जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की भूप्रजातियों अथवा वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण अथवा चयन व परिरक्षण के माध्यम से उनके सुधार के कार्य में रत है, राष्ट्रीय जीन निधि से सम्मानित व पुरस्कृत होने हेतु विचार करने का पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसी सामग्री का उपयोग इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण योग्य किस्मों में जीनों के दाता के रूप में किया गया हो। **कृषक अधिकार** (iv) किसी भी उस किसान को इस नियम के अंतर्गत उसी विधि से सुरक्षित किस्म के बीज सहित अपनी उपज बचाने, उपयोग में लाने, बोने, पुनः बोने, विनिमय, साझेदारी करने या बेचने का अधिकार होगा, जैसा कि इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व था। तथापि, वह सुरक्षित किस्म के ब्राण्डेंड बीज को नहीं बेच सकता है। वानस्पतिक सामग्री जैसे कलमों, कलिकाओं, घनकंद आदि के मामले में किसानों के सामग्री उत्पन्न करने, बचाने, उपयोग करने, बोने, पुनः बोने, विनिमय करने, भागेदारी या बिक्री से संबंधित अधिकार केवल तभी लागू होते हैं जब ये सामान्य फार्म उपज के बचे हुए उत्पाद वहां प्रवर्धित होते हैं जहां फसल की वाणिज्यिक कटाई के लिए फसल उगाई जाती है। इसके अंतर्गत बीज सामग्री प्रवर्धन के वे प्रोटोकॉल पुनः नहीं अपनाए जाते हैं जिनसे किसानों को पौध सामग्री उत्पादक

	किसान के रूप में विभेदित किया जाता है। **कृषक अधिकार** (v) किसी भी किसान को प्राधिकृत एजेंट/लाइसेंस धारक/पंजीकृत प्रजनक, जैसा भी मामला हो, क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार है। इसके लिए उसे प्राधिकरण के समक्ष फार्म पीवी–25 में प्रारंभिक प्रमाण लिखित में प्रस्तुत करने होंगे, बशर्ते कि वह पंजीकृत किस्म उसने किसी पंजीकृत किस्म के प्राधिकृत, वैध एजेंट/लाइसेंस धारक से खरीदी हो और उसमें वे सस्यविज्ञानी गुण न पाए गए हों अथवा उसने ऐसा सस्यविज्ञानी निष्पादन न किया हो जैसा कि बीज के पैकेजिंग में दावा किया गया था। क्षतिपूर्ति की स्वीकृति का निर्णय लेने के पूर्व अधिनियम (धारा 39 (2) और नियम 67) में वर्णित क्रियाविधि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा पालन किया जाएगा। तथापि या तो किसी गैर प्राधिकृत विक्रेता (अप्राधिकृत, लाइसेंसधारक या पंजीकृत प्रजनक के एजेंट के अलावा) अथवा किसी अन्य किसान (साझेदारी की गई/विनिमय किए गए बीज/प्रवर्धन सामग्री सहित) द्वारा उपरोक्त धारा 39 (1)(iv) के अंतर्गत किसानों के अधिकारों के अधीन बेची गई किसी पंजीकृत किस्म के बीज की खरीद के मामले में क्षतिपूर्ति के दावे का यह अधिकार वैध नहीं होगा।
21.	**क्या पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के द्वारा कृषकों के अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त पादप प्रजनक के रूप में किसी किसान द्वारा प्रजनित किस्म को भी 'कृषक किस्म' माना जाएगा?'** नहीं। किसी किसान द्वारा किसी अन्य पादप प्रजनक के रूप में प्रजनक किस्म को कृषक किस्म नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके द्वारा प्रजनित किस्म में किसान को संकरीकरण सृजित करके, विसंयोजनशील समष्टि उगाकर जैसे किसी भी उपाय से आनुवंशिक विविधता सृजित करनी होगी। ऐसा उसे विद्यमान किस्म या आनुवंशिक स्टॉक या जननद्रव्य से प्राप्त नई पौधा सामग्री में करना होगा जो वह कहां से प्राप्त करेगा, इसका उसे जानकारी उपलब्ध करना होगा। यह कृषक किस्म माने जाने वाली किस्म के विपरीत है। कोई भी कृषक किस्म जिसमें कृषक किस्मों के पांच अधिकारों में से किसी भी अधिकार का प्रयोग किया गया हो, किसान द्वारा परंपरागत फसल किस्म या भूप्रजाति की सामान्य परंपरागत खेती द्वारा चयन के रूप में विकसित की जाती है। ऐसे मामले में एक भिन्न दिखने वाले पौधे को उस भूप्रजाति या परंपरागत किस्म से चुना जाता है जिसकी संतति में अनेक पीढ़ियों तक शुद्धता बनी रहती है जिसके पश्चात् चुनी हुई किस्म मूल भू–प्रजाति या परंपरागत किस्म से कम से कम एक गुण में भिन्न दिखाई देती है। यद्यपि यह चयन है लेकिन यह परंपरागत किस्म चयन बना रहता है क्योंकि इसमें परंपरागत स्रोत किस्म या भूप्रजाति के अधिकांश गुण बने रहने की अपेक्षा की जाती है।
22.	**वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें किसानों द्वारा बेचे गए बीज या रोपण सामग्री को धारा 39(1)(iv) के अंतर्गत बीज की बिक्री या भागेदारी या विनिमय के अंतर्गत कृषक अधिकारों के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है?** 1. जब कोई बीज या रोपण सामग्री ब्राण्डेड विधि से बेची जाती है 2. जब कोई बीज या रोपण सामग्री उस प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में बेची जाती है जिसे 'उसकी फार्म उपज' के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है 3. ´ क्रम संख्या 22 के बिंदु संख्या 3 को सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 15.02.2021 के आदेशानुसार हटा दिया गया है। हटाने के पूर्व बिंदु संख्या 3 निम् नव्रत था। "दोनों उल्लंघन यदि किसानों द्वारा किए जाते हैं तो वह पंजीकृत प्रजनकधकिसान जिसकी किस्म पंजीकृत है उसे उपरोक्त दावे के समर्थन में एक साथ सटीक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।' (व्याख्या : • यदि कोई बीज या रोपण सामग्री किसी बीज उत्पादक या कंपनी के लिए संविदा के अंतर्गत उत्पन्न की गई है तो यह संबंधित किसान की फार्म उपज नहीं मानी जाएगी। • बीज या रोपण सामग्री उस दशा में किसान की फार्म उपज नहीं मानी जाएगी यदि वह किस्म

	सामान्य अनाज/सब्जी/फल/पुष्प उत्पादन के लिए खेत/बाग में नहीं उगाई गई है। तथापि, उसे बीज/रोपण सामग्री उत्पादन प्रोटोकॉल जैसे रोपाई का अंतराल, विलगीकरण, छंटाई, विलगित विशेष कटाई, प्रसंस्करण, एकमात्र पौध प्रजनन या प्रवर्धक उत्पादन के लिए नर्सरी अथवा नियंत्रित दशाओं जैसे जालघर/ग्लासहाउस/विलग माध्यम, प्रवर्धित सामग्री उत्पादन के लिए सीमित मृदा गतिविधि आदि जैसे बीज/पौध सामग्री उत्पादन प्रोटोकॉल उत्पन्न करके बीज/पौध सामग्री के रूप में बेचा गया हो। ऐसी प्रवर्धन सामग्री में **निम्न नहीं होने चाहिए :** क) बाजार में वाणिज्यिक उपभोक्ता उत्पाद के रूप में उपज को बेचने के लिए फार्म उत्पादन की सामान्य विधियों से भिन्न नर्सरी अथवा सुरक्षित दशाओं के अंतर्गत पौध सामग्री के रूप में अलग से प्रगुणित किया गया हो, या ख) खेत सुरक्षा के सामान्य रसायनों के अतिरिक्त केवल पौध सामग्री के रूप में उनके उपयोग की सुविधा हेतु वृद्धि नियंत्रकों, हार्मोन या रसायनों से उपचारित किया गया हो, या ग) प्रसंस्करण, वृद्धि माध्यमों को शामिल करते हुए नियंत्रित पर्यावरण की दशाओं के अंतर्गत पौध सामग्री के रूप में उत्पन्न किया गया हो। घ) पैकेजिंग पर ब्राण्ड की छपाई करते हुए यह बताया गया हो कि पौध सामग्री के प्रगुणन के उद्देश्य से वाणिज्यिक पैकेजिंग में किसी भी सामग्री के परिवहन हेतु उसे रोपण सामग्री के रूप में पैक किया गया हो, और वह सामग्री उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए उत्पन्न की गई फार्म उपज से भिन्न है। यदि कोई भी किसान उपरोक्त में से कोई भी प्रक्रिया या ऐसा साधन अपनाता है जहां फसल की वाणिज्यिक फार्म उपज उगने की विशेष दशाओं या निवेशों से संबंधित नहीं होती हैं तो उसे **धारा 39(1)(iv)** के अंतर्गत ऐसी सामग्री के लिए कृषक अधिकारों का पात्र नहीं माना जाएगा। तथापि, उसे पंजीकृत प्रजनक अथवा उसके उत्तराधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति अथवा लाइसेंस धारी के रूप में उसके एजेंट से प्राधिकार प्राप्त करना होगा।
23.	**क्या कोई किसान किसी पंजीकृत प्रजनक के लाइसेंस धारक/एजेंट/अधिकृत बीज विक्रेता से वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित असंकर वृक्ष/लता के वानस्पतिक भाग या किस्म के बीज खरीदता है, सुरक्षा की अवधि के दौरन बीज अथवा वानस्पतिक पादप अंग के रूप में किस्म से ली गई अपनी फार्म उपज को बचाकर रखने, उपयोग में लाने/बोने, पुनः बोने, विनिमय करने, भागेदारी या बिक्री करने के अधिकार का पात्र होता है।** इस प्रश्न का उत्तर दो दृष्टिकोणों, वैधानिक और तकनीकी, में दिया जाना चाहिए : I. वैधानिक पहलू किसी पंजीकृत किस्म की सुरक्षा की अवधि के दौरान ऐसी पौधा किस्म के बीज से संबंधित कृषक अधिकारों की व्याख्या निम्नानुसार की गई है : i. किसी पंजीकृत किस्म के बीज को बोने/पौधे के भाग को रोपने का अधिकार प्राधिकृत फुटकर विक्रेता/विक्रेता अथवा गैर–ब्राण्ड वाले कृषक बीज को सामान्य फार्म उपज के ही रूप में उगाने का अधिकार प्राप्त है। इस सामान्य फार्म उपज में बोए गए पौधे की जाति के दाने अथवा वाणिज्यिक उत्पाद जैसे पुष्प, फल (कोमल/परिपक्व), पत्तियां, प्ररोह, जड़ें

आदि आते हैं।

ii. बीज को बचाकर रखने के कृषक के अधिकार का संबंध बीज उपरोक्त (i) से सामान्य रूप से उगाई गई फसल से उत्पन्न दाने के रूप में बीज को बचाकर रखना है। ऐसी फार्म उपज को प्राधिकृत फुटकर विक्रेता/विक्रेता से खरीदे गए बीज से उगाई गई फसल की उपज के मामले में केवल खरीदी गई पंजीकृत किस्म की पहचान के साथ बीज के रूप में बताई गई फार्म उपज है किसान से प्राप्त बीज के मामले में बीज को केवल फार्म उपज अर्थात दाने के रूप में बिना किसी नाम या ब्राण्ड के बचाकर रखा जा सकता है।

iii. रोपाई के लिए पुनः बुवाई से संबंधित कृषक अधिकार का अर्थ ऐसे बचाए गए बीज (ii) से है जो प्रवर्धित स्पसीज का बीज हो। वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित फसल स्पसीज के मामले में इसका अर्थ उस रोपाई से है जो प्राधिकृत विक्रेता/विक्रेता से खरीदे गए पादप अंग से उगाई गई फसल पर उत्पन्न पौधे के अंग का उपयोग करते हुए उगाई गई दूसरी फसल हो अथवा उपरोक्त (ii) में किसान द्वारा उत्पन्न गैर–ब्राण्ड युक्त किस्म पर पौधे के भाग का उपयोग करते हुए उगाई गई हो।

पंजीकृत किस्म के बीज/प्रवर्धन सामग्री के विनिमय/भागेदारी या बिक्री के कृषक के अधिकार का अर्थ या तो बोए गए अथवा पुनः बोए गए बीज/पौधे के भाग से उगाई गई फसल से प्राप्त बीज/रोपण सामग्री के रूप में बीज अथवा अनुपचारित पादप भाग के रूप में गैर–प्रसंस्कृत फार्म में उत्पन्न दानों के विनिमय/भागेदारी या बिक्री है। बशर्ते कि फार्म पर ऐसे उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान किसान ने बीजोत्पादन की किसी ऐसी तकनीक/प्रोटोकॉल जैसे भौतिक/अंतराल/समय/जनन विलगन, रोपाई अंतराल, थैलाबंदी, पिंजरा बंदी, वंशक्रम छंटाई, रासायनिक/वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग न किया हो। प्रवर्धित जातियों के बीज के मामले में वानस्पतिक पादप अंग उत्पादन की तकनीकों/प्रोटोकॉल जैसे सुरक्षित खेती, वृद्धि माध्यमों/रसायनों/वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग, जड़ लगाने/ग्रेफ्टिंग/लेयरिंग/कलिका नर्सरी का प्रवर्धन/जड़ स्थापित करने, आदि का उपयोग न हुआ हो अथवा कोई भी अन्य ऐसी गतिविधि जो सामान्य फार्म उपज के रूप में किसी भी ऐसी उपज और फसल स्पसीज के सामान्य फार्म उत्पादन के लिए खेती की मानक विधियों का प्रतिनिधित्व न करती हो।

II. तकनीकी पहलू

तकनीकी रूप से किसानों को जनन (परागण) की प्रकृति और इसके परिणामस्वरूप उन फसल स्पसीज में बीज लगने या वानस्पतिक भाग बनने के बारे में समझने की आवश्यकता है जो उपरोक्त अधिकारों के लागू होने के पूर्व पार संदूषण और/अथवा नाशीजीवों व रोगों के संक्रमण /आक्रमण से अलग नहीं की गई थी और किस्म की शुद्धता में हुई प्राकृतिक हानि के कारण किस्म की श्रेष्ठता के लाभ को बिना समाप्त किए विकसित की गई थी। साथ ही उनके वानस्पतिक भागों में वहन किए गए किसी रोग के कारण गुणवत्ता में कभी कोई कमी नहीं आई थी। उनका पूरा लाभ उठाने के लिए निम्न अधिकारों का उपयोग किया जा सकता हैः

क. प्रकृति में बिना किसी पर–परागण के स्व–परागित स्पसीज के अंतर्गत आने वाली पंजीकृत किस्म पर उत्पन्न बीजों के कई सीजन के बाद आनुवंशिक रूप से शुद्ध बने रहने की अपेक्षा की जाती है। बशर्ते कि उनमें कोई प्राकृतिक उत्परिवर्तन न हो। ऐसे बीजों को उपरोक्त अधिकारों के लिए अपनाया जा सकता है। तथापि, इन किस्मों में भी बुवाई, कटाई, गहाई, भंडारण और सफाई आदि के दौरान किसान द्वारा किए गए किसी भी फार्म संबंधी कार्य से पुराने बीजों, पड़ोस के खेत के किस्मों, पक्षियों या पशुओं द्वारा मिलाए गए बीजों (कटाई और गहाई के दौरान) मिश्रण न हुआ हो। इसके साथ ही भंडारण के दौरान थैलों

	में मिश्रण, पुराने थैलों में पुराने बीजों के संदूषण आदि से उत्पन्न बीज की शुद्धता में कमी आ सकती है। एक बार बोने और अधिक से अधिक एक बार पुनः बोने के लिए उपज का उपयोग सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए स्वीकार्य हो सकता है। अनुरक्षण प्रजनन केन्द्रक बीज अवस्था से ही वांछित है। ऐसा उन पादप जातियों के लिए भी वांछित है जिनमें प्रत्येक मौसम के दौरान कोई भी आनुवंशिक व भौतिक संदूषण हटा दिया गया हो। किसानों से न तो ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है और न ही बिना किसी अतिरिक्त भूमि, श्रम व रखरखाव संबंधी गतिविधियों में पर्याप्त निवेश के बिना सामान्य फार्म उत्पादन के विकल्पों के रूप में ऐसा करना संभव है। ख. प्रायः स्वपरागित जातियों अथवा प्रायः पर–परागित स्पसीज के अंतर्गत आने वाली पंजीकृत किस्म पर उत्पन्न किए गए बीज आनुवंशिक रूप से उपरोक्त (क) के विपरीत कम शुद्ध होंगे। विशेष रूप से किसान द्वारा पिछली फसल पर उत्पन्न किए गए बीज से उगाई गई अगले मौसम की इस फसल के बारे में यह और अधिक सटीक रूप से लागू होगा। इन स्पीसीज में आनुवंशिक अशुद्धता की सीमा फार्म के आकार, रोपी गई किस्मों, पड़ोस के फार्म पर उगाई गई किस्मों आदि के अनुसार अलग–अलग स्थानों पर भिन्न होगी। ऐसे मामलों में यह सिफारिश की जाती है कि फार्म उपज को एक मौसम से ज्यादा न बोया जाए और वह भी केवल ऐसी स्थिति में हो जहां वांछित किस्म का ताजा बीज किसानों को उपलब्ध न हो। ग. पर–परागण (जैसे हवा, कीट आदि) और पुष्प के जीवविज्ञान के प्रकार (उन फसलों में जहां नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर लेकिन अलग–अलग स्थानों पर लगते हैं जैसे मक्का की फसल अथवा जहां नर और मादा पौधे भिन्न होते हैं जैसे पपीता या कीवी फल या जहां प्रत्येक पुष्प पर नर और मादा दोनों अंग होते हैं लेकिन उनकी परिपक्वता का समय अलग–अलग होता है जैसे बाजरा या तारा–मीरा) के माध्यम पर निर्भर करते हुए पर–परागित स्पीसीज के अंतर्गत आने वाली पंजीकृत किस्म पर उत्पन्न बीजों से विभिन्न पादप प्रकारों की आनुवंशिक रूप से मिश्रित फसल की अगली पीढ़ी के उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसमें अपवाद केवल वे किस्में हैं जो प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में पंजीकृत नहीं की जा रही हैं और उन्हें संकुल का दर्जा दिया गया है क्योंकि पौधों का यह समूह किस्म और बीज दोनों की परिभाषा की शर्तों को पूरा नहीं करता है। इसलिए इन जातियों के मामले में किसानों को यह सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त अधिकारों का उपयोग न करें क्योंकि उपज की गुणवत्ता के ऐसी जाति से प्राप्त की गई फसल के द्वारा बनाए रखे जाने की संभावना नहीं रहती है। घ. वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित सभी फसलों के वानस्पतिक अंग जैसे पुष्प, कंद, वृक्ष, लताएं आदि विषाणुओं अथवा रोगों से संदूषित रहने की बहुत संभावना होती है। भले ही उन्हें पड़ोस के प्लाटों से जीन द्वारा आनुवंशिक रूप से संदूषित न किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप पौधे के वानस्पतिक अंगों से उगाई गई फसल की वही गुणवत्ता बने रहने की कम संभावना होती है तथा यह फसल व फार्म उपज के मामले में किसी अधिकृत विक्रेता से खरीदे गए वानस्पतिक भाग से उगाई गई मूल फसल की तुलना में अपेक्षाकृत उसके बराबर की गुणवत्ता वाली नहीं होती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उन परिस्थितियों को समझने के लिए जो 100% स्वः परागित फसल स्पसीज के मामले में अधिकृत बीज स्रोत (i) से ताजे बीज तक किसानों की पहुंच के लिए वांछित हैं, किसानों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे किसी अधिकृत या लाइसेंसधारी विक्रेता से खरीदी गई पंजीकृत किस्म के बीजों को उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक दो सीजन में बोएं; (ii) प्रायः स्वःपरागित अथवा प्रायः पर–परागित फसल जाति के मामले में किसानों के हित में उपज की तर्कसंगत तुलनीय गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए मूल रूप से खरीदे गए उत्पादित बीज का ही एक बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

24.	**बिक्री के लिए किसानों के अधिकार के वर्णन के उद्देश्य से 'ब्राण्डयुक्त बीज' क्या है?** किसी थैला /पात्र/डिब्बा/लिफाफा में पैक बंद करके और ऐसा लेबल लगाकर जिसमें यह बताया गया हो कि इस पात्र में उस किस्म के बीज हैं जो अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित हैं, ऐसे पैकेज में बेचे गए बीज के माध्यम से प्रवर्धित किस्म के मामले में वह बीज 'ब्राण्डयुक्त बीज' कहलाता है। कोई भी ऐसा कार्य जैसे बक्से अथवा थैले/बोरे से बेचने जिसमें यह स्पष्ट चिह्नित किया गया हो, अस्थायी अथवा अन्य, जो यह संकेत दे कि उसमें मौजूद सामग्री किसी पंजीकृत किस्म का बीज/रोपण सामग्री है, भी ब्राण्डीकरण कहलाता है। वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित पौधा स्पसीज के मामले में ब्राण्डयुक्त बीज का अर्थ पौधे से सृजित भाग के रूप में संगठित उत्पाद है जिसे एक साथ बांधा गया हो अथवा समूह से अलग किया गया हो या एक साथ गट्ठर में बांधा गया हो अथवा एक साथ बंधे हुए एकल या विभिन्न अंगों की इकाइयों के रूप में रखा गया हो अथवा किसी पात्र में पैकबंद/एक साथ लपेटते हुए समूहीकृत किया गया हो तथा प्रत्येक में टैग/संकेतक/मार्क व विवरण दर्शाया गया हो जिसमें पंजीकृत किस्म या ऐसी किस्म का नाम भी हो, ब्राण्डयुक्त प्रवर्धित पादप सामग्री कहलाती है।
25.	**क्या कृषक अपने बचाए हुए बीज अथवा बिना ब्रान्ड के अन्य कृषक से क्रय प्रक्षेत्र उत्पाद से उगायी गयी फसल के घटिया निष्पादन के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है?** नहीं। पंजीकृत प्रजनक अथवा उसके उत्तराधिकारी/प्रतिहस्तांकिती/एजेंट अधिकृत अनुज्ञप्ति विक्रेता/फुटकर विक्रेता से क्रय किए गए ब्रान्ड युक्त पंजीकृत किस्म के बीज की पंजीकरण अवधि तक और थैले अथवा बैग पर लिखित वैधता अवधि में विफलता पर ही क्षतिपूर्ति का अधिकार है। ब्रान्ड रहित बीज पर क्षतिपूर्ति का दावा नही किया जा सकता।
26.	**क्या सुरक्षित किस्म के शीर्षकधारी के लिए किसान द्वारा काटी गई फसल की उस सामग्री पर अधिकार को लागू करना संभव है जो किसी पंजीकृत किस्म की वैध या अवैध खरीदी गई प्रवर्धन सामग्री से विकसित हुई हो? (उदाहरण के लिए क्या शीर्षकधारी व्यक्ति किसानों द्वारा उस अवस्था में सेबों की बिक्री को रोक सकता है यदि सेब के वृक्ष सतह प्राप्त की गई सामग्री से रोपे गए हों अथवा ऐसा नहीं किया जा सकता?)** नहीं। पंजीकृत प्रजनकों को उत्पादित किए गए उत्पाद पर कोई अधिकार नहीं है। इसमें बीज भी शामिल है भले ही बीज का स्रोत कोई हो अथवा बीज या रोपण सामग्री प्रामाणिक हो या न हो, बशर्ते कि यह सामान्य उपज का एक भाग हो जिसे बीज अथवा प्रवर्धित अंग उत्पादन के लिए फसल बनाने हेतु कोई विशेष उपचार न दिया गया हो। सेबों के उदाहरण के मामले में किसान को सेब बेचने से नहीं रोका जा सकता। तथापि, चूंकि विशिष्ट गुण वाला सेब जो विशेष रूप से पंजीकृत किस्म का प्रतिनिधित्व करता हो, केवल पंजीकृत किस्म के वृक्ष पर ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसान को अप्राधिकृत बीज उत्पादक से उसे प्राप्त करना होगा। इस धारणा के अंतर्गत पंजीकृत प्रजनक स्थानीय प्राधिकारियों से शिकायत कर सकता है जिसमें वह अपने स्वामित्व का उल्लेख करते हुए वृक्षों के स्रोत का विवरण मांग सकता है और यह उल्लेख कर सकता है कि उस व्यक्ति/कंपनी ने नियम का उल्लंघन किया है जिसमें सुरक्षित किस्म के पंजीकृत उत्पाद को बेचा है। बशर्ते कि ऐसा पंजीकृत प्रजनक अथवा प्राधिकृत स्रोत की अनुमति के बिना किया गया हो। तथापि, संबंधित किसान बिना प्राधिकरण के उत्पाद को खरीदने/बेचने के परिणामों के बारे में सुरक्षा के संबंध में जानकारी न होने के कारण अपनी अज्ञानता का दावा कर सकता है लेकिन यह

	समझना होगा कि उच्च मूल्य वाले उत्पादों के ऐसे मामलों में सामग्री की बिक्री/खरीद अधिक महंगी सिद्ध होगी क्योंकि गुणवत्ता की गारंटी देनी होगी जिसका कारण यह है कि जिस किसान ने सेब का उत्पादन किया है या नर्सरी लगाई है उसे स्थापित करने में काफी निवेश करना पड़ा था। अतः इस बात की अधिक संभावना नहीं है कि अज्ञानी होने के कारण वह उसका लाभ उठा सके। तथापि, पंजीकृत प्रजनक को संबंधित सामग्री पर बहुत सावधानी से प्रमाण एकत्र करने होंगे ताकि वह अधिकार के उल्लंघन का मुकदमा दाखिल कर सके और किसान द्वारा अज्ञानी होने के दावे पर आपत्ति कर सके।
27.	**शोभाकारी फसलें और फलों के उगाने के मामले में किसे किसान माना जाता है?** पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 2(क) में परिभाषित कृषक की परिभाषा खेत फसलों, शोभाकारी फसलों, सब्जियों, फलों आदि के मामले में एक समान है।
28.	**कृषकों के अधिकार, धारा 39(2) के अंतर्गत प्रवर्धित सामग्री के निष्पादन न होने के लिए दायिता के प्रावधान के अंतर्गत प्रजनक द्वारा किसान को बेची गई प्रवर्धन सामग्री के मामले में प्रजनक की क्या दायिता होगी, लेकिन किसी प्रवर्धक (प्राधिकृत या अप्राधिकृत) की किस्म निम्न गुणवत्ता की प्रवर्धन सामग्री के कारण निष्पादन देने में असफल रहती है तो उसकी क्या दायिता होगी? किसान को क्षतिपूर्ति किसके द्वारा देय होगी?** i. सबसे पहला प्रमाण करने का दायित्व दावेदार किसान पर है और उसे सिद्ध करना होगा कि किस्म की प्रवर्धन सामग्री की निम्न गुणवत्ता के कारण निष्पादन असफल रहा, जबकि उसने अपने स्थान पर खेती की सभी विधियों के पैकेज के अनुसार सभी निवेशों (इनपुट) को लागू किया था। ii. उसके पास यह स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए कि जिस पंजीकृत किस्म की रोपी गई सामग्री के बारे में वह दावा कर रहा है उसे उसमें किसी प्राधिकृत स्रोत जैसे प्राधिकृत विक्रेता अथवा पंजीकृत प्रजनक के प्राधिकृत विक्रेता या लाइसेंसधारक/पंजीकृत एजेंट से किस्म के बीज की बिक्री के लिए प्राधिकार प्राप्त करते हुए विधिक रूप से प्राप्त किया है। iii. इसके पश्चात् प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पर तत्काल विचार करेगा। iv. सुरक्षित किस्म के घटिया निष्पादन के लिए क्षतिपूर्ति का दावेदार किसी भी ऐसे दावे का पात्र नहीं होगा यदि सुरक्षित किस्म का बीज निम्न में से किसी से भी प्राप्त किया गया हो: क) फार्म उपज के रूप में पड़ोसी किसान (भले ही उसने किसी वैध बीज उत्पादक/विक्रेता से मूल बीज प्राप्त किया हो) ख) वह विक्रेता जो पंजीकृत प्रजनक की ओर से किस्म की बिक्री के लिए प्राधिकरण के साथ पंजीकृत लाइसेंसधारी अथवा पंजीकृत एजेंट के रूप में प्राधिकृत नहीं है।
29.	**वे क्या परिस्थितियां हैं जिनमें कोई किसान किसी किस्म की क्षतिपूर्ति के दावे के अपने अधिकार का पात्र होता है या नहीं होता है?** प्रत्येक वह किसान जो किसी किस्म के पंजीकृत प्रजनक या प्राधिकृत डीलर या एजेंट अथवा लाइसेंस धारक से किस्म के प्रवर्धन के लिए बीज अथवा पादप सामग्री को खरीदता है (खरीद का प्रमाण होना चाहिए), प्राधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति का कोई भी दावा करने का पात्र है बशर्ते कि ऐसी सामग्री से निर्धारित दशाओं में अपेक्षित निष्पादन प्राप्त न हुआ हो। तथापि, यदि बीज अथवा पादप प्रवर्धन की सामग्री साथी किसान से किसान की फार्म उपज के रूप में बिना किसी ब्राण्ड के विनिमय/भागेदारी अथवा खरीद के द्वारा प्राप्त की गई हो तो क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार नहीं होता है। क्योंकि रोपण सामग्री को लेबल पर लगे बिना किसी दावे के प्राप्त किया जाता है और बीज/प्रवर्धित सामग्री के रूप में यह धारा 2(x) में बीज की परिभाषा के अनुसार होता है।

30.	**कोई किसान किसी किस्म के अपेक्षित निष्पादन के बारे में कैसे जानता है और वह किस्म द्वारा अपेक्षित निष्पादन न देने पर क्षतिपूर्ति का दावा कैसे कर सकता है?** जब कभी इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म की प्रवर्धित सामग्री (बीज अथवा पौधे के वानस्पतिक भाग, जैसा भी मामला हो) को बेचा जाता है तो पंजीकृत प्रजनक को निर्धारित दशाओं के अंतर्गत रोपण सामग्री के अपेक्षित निष्पादन का खुलासा करना होगा। यदि प्रवर्धन सामग्री निर्धारित दशाओं के अंतर्गत निष्पादन देने में असफल रहती है तो किसान या किसानों का समूह अथवा किसानों का संगठन, जैसा भी मामला हो, निर्धारित नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। प्राधिकरण किस्म के पंजीकृत प्रजनक या उसके एजेंट अथवा लाइसेंसधारक, जैसा भी मामला हो, नोटिस देते हुए नियमों के अनुसार आपत्ति दाखिल करने का अवसर प्रदान करता है, दोनों पक्षों को सुनता है तथा पंजीकृत प्रजनक या उसके एजेंट अथवा लाइसेंस धारक, जैसा भी मामला हो, को यथानुसार संबंधित किसान को क्षतिपूर्ति अदा करने का निर्देश दे सकता है।
31.	**क्या प्राधिकरण पौधों में आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने या उसे संरक्षित करने अथवा पौधा किस्मों के क्षेत्र में योगदान देने वाले किसानों को पुरस्कृत, सम्मानित और मान्यता प्रदान करता है?** हां। कोई भी वह किसान अथवा कृषक समुदाय जो चयन अथवा परिरक्षण के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की भू–प्रजातियों और वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के सुधार और संरक्षण में रत है, सम्मान और प्रतिदान अथवा पुरस्कार का पात्र है, बशर्ते कि इस तथ्य का पर्याप्त प्रमाण हों कि इस प्रकार चुनी गई या परिरक्षित सामग्री का उपयोग इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण योग्य किस्मों के जीनों के दाताओं के रूप में किया गया है। प्राधिकरण ने भारत सरकार के परामर्श से निम्न पुरस्कार देने आरंभ किए हैं : क) पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार ख) पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान और ग) पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान **पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार :** उद्धरण और स्मृति चिह्न सहित प्रत्येक 10 लाख रुपये के (पांच) पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार प्रति वर्ष उन किसानों के समुदाय को दिए जाते हैं जो चयन और परिरक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की भूप्रजातियों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व सुधार में रत हैं, बशर्ते कि इस प्रकार से चुनी गई सामग्री का उपयोग अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण योग्य किस्मों के संबंध में जीनों के दाता के रूप में किया गया हो। **पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदानः** उद्धरण और स्मृति चिह्न सहित प्रत्येक 1.5 लाख रुपये के (दस) पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार प्रति वर्ष उन किसानों को दिए जाते हैं जो चयन और परिरक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की भूप्रजातियों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व सुधार में रत हैं, बशर्ते कि इस प्रकार से चुनी गई सामग्री का उपयोग अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण योग्य किस्मों के संबंध में जीनों के दाता के रूप में किया गया हो। **पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मानः** उद्धरण और स्मृति चिह्न सहित प्रत्येक 1 लाख रुपये के (बीस) पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान प्रति वर्ष उन किसानों को दिए जाते हैं जो चयन और परिरक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की भूप्रजातियों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व सुधार में रत हैं, बशर्ते कि इस प्रकार से चुनी गई सामग्री का उपयोग अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण योग्य किस्मों के संबंध में जीनों के दाता के रूप में किया गया हो।

32.	**पुरस्कार/प्रतिदान और सम्मान के लिए नामांकन किस प्रकार किए जाते हैं?** प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण राज्य या केन्द्र सरकार के प्रमुख संगठनों अथवा देश में कार्यरत राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, किसानों के साथ कार्यरत व्यक्तियों और एजेंसियों अथवा किसान के सम्पर्क में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पुरस्कार/प्रतिदान और सम्मान देने हेतु नामांकन के रूप में आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए प्रमुख समाचार–पत्रों में विज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी में) दिया जाता है तथा आवेदन–पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
	प्रजनक के अधिकार एवं सामान्य मुद्दे
33.	**पंजीकरण की पात्रता के लिए किसी किस्म में क्या पूर्व अपेक्षाएं होनी चाहिए?** प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित स्पसीज (Species) के अंतर्गत आने वाली कोई भी पौधा किस्म तब तक सुरक्षा के लिए पंजीकृत किए जाने की पात्र होती है जब तक उसे सार्वजनिक क्षेत्र का घोषित नहीं किया जाता है अथवा बीज द्वारा प्रवर्धित वार्षिक फसलों के मामले में अधिक से अधिक 15 वर्ष तथा वृक्षों और लताओं के मामले में 18 वर्ष के लिए प्रजनन स्टॉक के रूप में उगाया/उपयोग में/वाणिज्यीकृत/व्यापार के अंतर्गत नहीं गया अथवा भारत में पहले से ही सुरक्षित नहीं किया जाता है, बशर्ते कि यह किस्म कृषक किस्म (परंपरागत किस्म, भू–प्रजाति अथवा कृष्य स्पसीज के वन्य संबंधी) के अतिरिक्त हो। वे विभिन्न श्रेणियां जिनके अंतर्गत कोई किस्म पंजीकृत की जा सकती है : निम्नानुसार हैं : ➢ नई किस्म ➢ विद्यमान किस्म • सामान्य ज्ञान की किस्म • बीज अधिनियम (1966) के अंतर्गत अधिसूचित किस्म • कृषक किस्म ➢ अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ईडीवी)
34	**पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित अथवा पंजीकृत विभिन्न प्रकार की पौधा किस्में कौन सी हैं?** **क. नई किस्म :** कोई भी वह किस्म जो भारत के किसान सहित किसी एजेंसी अथवा व्यक्ति द्वारा अथवा किसी एजेंसी या विदेश में रह रहे व्यक्ति द्वारा विकसित की गई हो और जिसका व्यापार न किया गया हो अथवा जिसे यदि भारत की हो, तो आवेदन के जमा करने की तिथि से एक से अधिक वर्ष और यदि किसी अन्य देश से हो तो आवेदन की प्रस्तुति की तिथि से चार वर्ष अथवा छह वर्ष (केवल वृक्षों और लताओं के मामले में) से अधिक अवधि के दौरान प्रजनन सामग्री के रूप में उपयोग में न लाया गया हो, नई किस्म कहलाती है। **ख. विद्यमान किस्म :** अधिसूचना से अधिकतम 15 वर्ष से विद्यमान पौधा किस्म जो अधिसूचना के समय प्राधिकरण द्वारा विशिष्टीकृत स्पसीज/श्रेणी के रूप में निर्धारित अवधि के अंतर्गत पंजीकृत की गई हो। विद्यमान किस्म की श्रेणी को उन किस्मों की सुविधा के लिए लागू किया गया है जिन्हें इस कारण सुरक्षा के एक निर्धारित स्तर के अंतर्गत रखा जाता है, भले ही ये नई नहीं हैं और जिनका निम्न में से किसी भी एक (दोनों कभी भी नहीं अथवा समस्त) के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है : ✓ **सामान्य ज्ञान की किस्म :** कोई भी वह विद्यमान किस्म जो भारत में 15 वर्ष से अधिक समय एवम् वृक्षों या लताओं के मामले में 18 वर्ष से अधिक व्यापार में न हो लेकिन भारत में एक वर्ष तथा अन्य देशों में 4 वर्ष (वृक्ष व लता के मामले में 6 वर्ष) अधिक व्यापार में न हो। ✓ **बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित किस्म :** (पंजीकरण अधिसूचना की तिथि से

	कुल 15 वर्षों के लिए वैध होता है) ✓ **कृषक किस्म :** वह विद्यमान किस्म जो किसान अथवा समुदाय द्वारा किसी विद्यमान परंपरागत किस्म अथवा किसानों द्वारा कृष्य भू–प्रजाति के रूप में चयन के माध्यम से विकसित की गई हों और जिसमें जनकों को चुनने की कोई भी विशिष्ट प्रजनन विधि शामिल न की गई हो, उनका संकरण किया गया हो, विविधता के लिए उन्हें उगाया गया हो अथवा किसी भी उस क्रिया द्वारा वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित स्पसीज को शामिल किया गया हो जिसमें वृद्धि नियंत्रकों अथवा लेयरिंग के लिए माध्यमों, कलिकायन, कलम लगाने, कलमों अथवा जड़दार पौधों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए नर्सरी का उपयोग न किया गया हो, कृषक किस्म के अंतर्गत आती है। **ग. सुरक्षित किस्म की अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म** कोई अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म सदैव वह किस्म होती है जिसमें उस गुण को लक्षित किया जाता है जो पंजीकृत विद्यमान किस्म (आरंभिक किस्म) अथवा पंजीकृत किस्मों (विद्यमान पंजीकृत संकर के एक जनक) जैसे दो संकरित उत्पादों (संकर) से तैयार की जाती है, जबकि उसमें आरंभिक किस्म अथवा संकर के आरंभिक जनकों के गुणों की अभिव्यक्ति बनी रहती है जो परिणामस्वरूप व्युत्पन्न किस्म अथवा संकर में ईडीवी के परिणामस्वरूप व्यक्त होती है। ईडीवी को प्रजनन की ज्ञात विधियों जैसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी, उत्परिवर्तक प्रजनन, ऊतक संवर्धन द्वारा व्युत्पन्न विविधता (कायक्लोनी विविधता, प्रतीप संकर प्रजनन या किसी अन्य ऐसी कोशिकाविज्ञानी विधि से विकसित किया गया हो जिससे आरंभिक किस्म में केवल सीमित गुण ही परिवर्तित हों), के माध्यम से विकसित किया जा सकता है।
35	**कौन सी पौधा स्पसीज पीपीवी और एफआरए, 2001 के अंतर्गत सुरक्षित कराई जा सकती है?** यह अधिनियम उस किसी भी पौधा स्पसीज के लिए है जो देश में उगती है और जिसके भागों का उपयोग किसानों द्वारा खेती के उद्देश्य से अथवा किसानों या उपभोक्ताओं या उद्योग द्वारा उपयोग में लाए जाने के उद्देश्य से उत्पन्न और वाणिज्यीकृत किया जा सकता है। तथापि, किसी पौधा स्पसीज को सुरक्षा का पात्र बनाने के लिए प्राधिकरण को भारत के राजपत्र में देश में पंजीकृत पौधा स्पसीज के रूप में अधिसूचित कराना होता है जिसके पश्चात् पौधा जाति पर डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित किए जाते हैं। वन्य संबंधियों अथवा संरक्षित परंपरागत किस्मों अथवा किसी भी स्पसीज की किसान द्वारा संरक्षित किस्मों के मामले में यदि उन्हें अधिसूचित न भी किया गया हो तो भी सुरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकाशन के मुद्रित होने के समय तक 161 पादप 6स्पसीज ऐसी हैं जो भारत में पंजीकरण योग्य हैं।
36	**पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु कौन आवेदन कर सकता है?** निम्न व्यक्ति/संगठन या तो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से या संगठन के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं : (क) कोई भी वह व्यक्ति जो किस्म के प्रजनक होने का दावा करता हो; या (ख) किस्म के प्रजनक का कोई भी उत्तराधिकारी; या (ग) कोई भी वह व्यक्ति जो ऐसे आवेदन देने के अधिकार के संदर्भ में किस्म के प्रजनक द्वारा सौंपा गया अधिकार रखता हो; या (घ) कोई भी वह किसान या किसानों का समूह अथवा किसानों का समुदाय जो किस्म के प्रजनक होने का दावा करता हो; या (ड.) कोई भी वह व्यक्ति जो अनुबंधों (क से घ) के अंतर्गत विशिष्टीकृत व्यक्ति द्वारा निर्धारित

	विधि से प्राधिकृत किया गया हो, ताकि वह उसकी ओर से आवेदन दे सके; अथवा (च) कोई भी वह निजी व सार्वजनिक संगठन जिसका भारत में कोई संगठन या प्रतिनिधि हो और जो किस्म के प्रजनक के प्रतिनिधि होने का दावा करता हो।
37	**पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन किस कार्यालय में किया जा सकता है?** आवेदन दाखिल करने के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के शाखा कार्यालयों की जो अधिकार सीमा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की गई है, वह इस प्रकार है :

क्र.सं.	शाखा कार्यालय	सम्पर्क का विवरण	अधिकार क्षेत्र की सीमा
1.	शिवमोगा, कर्नाटक	उप पंजीयक, यूएएचएस, शिवमोगा, अब्बालागेरे डाकघर शिवमोगा, कर्नाटक–.577204 ppvfrasmg@gmail.com	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु, लक्षद्वीप और पुदुचेरी
2.	पुणे, महाराष्ट्र	उप पंजीयक, सेंटीनरी बिल्डिंग, कृषि महाविद्यालय परिसर, महात्मका फुले कृषि विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र–411005 ppfrabrpune@gmail.com	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दादर और नगर हवेली, तथा दमन एवं दीव
3.	रांची, झारखण्ड	उप पंजीयक, कम्प्यूटर सैंटर बिल्डिंग, दामोदर अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह के निकट, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर, कांके, रांची (झारखंड) – 834006 दूरभाषः 0651–2450055 dr-ranchi-ppvfra@nic.in	झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
4.	गुवा हाटी, असम	उप पंजीयक, असम कृषि विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन के समीप, खानापाड़ा, गुवहाटी–781022 दूरभाष : 0361.236675 dr-guwahati-ppvfra@nic.in	असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश
5.	पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	उप पंजीयक, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश–176061 दूरभाष–91–1894–230805 ppvfra.palampur@gmail.com	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, लद्दाख संघशासित क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर संघशासित क्षेत्र तथा चंडीगढ संघशासित क्षेत्र

जिन राज्यों का उल्लेख उपरोक्त तालिका में नहीं है वहां के आवेदक नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आवेदन कर सकते हैं। पता इस प्रकार है – पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, एस–2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, डीपीएम मार्ग, टोडापुर के सामने, नई दिल्ली–110012

38	**आवेदन तथा बीज नमूने प्राप्त करने के लिए कार्यालय समय क्या है?** पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के पंजीयक के कार्यालय में बीज सामग्री तथा पूरी तरह भरे गए आवेदन सोमवार से शुक्रवार 10.00 पूर्वाह्न से 12 बजे दोपहर तथा अपराह्न में 1.30–2.30 बजे तक (राजपत्रित अवकाश, शनिवार व रविवार को छोड़कर) प्राप्त किए जाते हैं। जो आवेदन

	पूर्वाह्न में दिए जाते हैं उन आवेदनों की पावती पीवीपी संख्या उसी दिन अपराह्न 2.30 से 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। जो आवेदन अपराह्न में 2.30 बजे के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी पावती पीवीपी संख्या अगले कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.00–10.30 बजे तक जारी की जाती है। जो आवेदन डाक/कुरियर के माध्यम से प्राप्त होते हैं उनकी पावती अगले कार्य दिवस में डाक द्वारा भेज दी जाती है।
39	**कृषक किस्मों के अतिरिक्त अन्य पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु क्या एजेंट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है?** हाँ, कोई भी प्रजनक या प्रजनक के रूप में किसान या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने एजेंट के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है।
40	**क्या पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ बीज/प्रवर्धन सामग्री का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है? यदि हां, तो बीज कहां प्रस्तुत करना होता है?** हाँ, प्रजनक को पंजीकरण हेतु आवेदन जमा करते (प्रस्तुत करते) समय गैर संकर किस्म या संकर किस्म का बीज उसके जनक वंशक्रमों (नर, मादा अथवा अनुरक्षक, जैसा भी मामला हो) के साथ जमा कराना होता है। उसे ऐसा या तो व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा कुरियर सेवा के द्वारा मुख्यालय अथवा जिस राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र का आवेदक हो उसकी अधिकार सीमा में आने वाले शाखा कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। तथापि, गैर–बीज आधारित पौधे के वानस्पतिक भागों के मामले में अथवा बहुवार्षिक जातियों के मामले में परीक्षण आधारित आवेदनों को दस दिन के अंदर फसल जाति के लिए निर्धारित फील्ड जीन बैंक में पहुंचा दिया जाना चाहिए। आवेदन प्राप्त करने की तिथि वह तिथि होगी जब बीज/पौध सामग्री फील्ड जीन बैंक में प्राप्त की जाती है। किसी भी आवेदन को सरकार की बीज परीक्षण प्रयोगशाला अथवा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से बीज परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार प्रजनक बीज के गुणवत्तापूर्ण बीज नमूने की निर्धारित मात्रा प्रस्तुत की जानी चाहिए। उपरोक्त वर्णित प्रयोगशाला भारत में होनी चाहिए और उसके द्वारा अंकुरण व आनुवंशिक शुद्धता की जांच करते हुए रिपोर्ट दी गई हो। कृषक किस्म के मामले में संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय या भा.कृ.अ.प. का संस्थान बीज की गुणवत्ता पर अपना अधिकार देते हुए शुद्ध बीज उपलब्ध कराएगा।
41	**चूंकि वार्षिक, द्विवार्षिक और बहुवार्षिक खेती के अंतर्गत पौधे की कोई जाति की रोपाई का समय वर्ष में विशिष्ट होता है (इनमें वे जातियां शामिल नहीं हैं जो नियंत्रित पर्यावरणीय कृषि या सुरक्षित कृषि के द्वारा ही विशिष्ट रूप से उगाई गई हों), अतः क्या यह आवश्यक है कि कैलेण्डर वर्ष में आवेदन के साथ बीज अथवा पौध सामग्री को विशिष्ट निर्धारित समय–सीमा में आपूर्त किया जाना चाहिए?** जी हां **मौसम** | **पंजीकरण हेतु बीज के साथ आवेदन देने का समय** खरीफ (जून–अक्तूबर) | 1 मार्च से 15 अप्रैल रबी (नवम्बर–मार्च) | 1 अगस्त से 15 सितम्बर ग्रीष्म/बसंत (जन–मई) | 1 नवम्बर से 15 दिसम्बर
42	**पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु कितने प्रकार के आवेदन पत्र उपलब्ध हैं?** तीन प्रकार के आवेदन–पत्र उपलब्ध कराए गए हैं जिनमें प्राधिकरण की वेबसाइट

www.plantauthority.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है :
(क) फार्म–I : नई और विद्यमान किस्मों के पंजीकरण हेतु
(ख) फार्म–II : ईडीवी के पंजीकरण हेतु
(ग) कृषक किस्म के पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 की छठी अनुसूची में उपलब्ध कराया गया है।

43 **किस्म के पंजीकरण के लिए कितने प्रकार के शुल्क अदा करने होते हैं?**

क. पंजीकरण शुल्क

किस्म का प्रकार	*पंजीकरण के लिए शुल्क*
अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्में	व्यक्तिगत 7,000 / रु. शैक्षणिक 10,000 / रु. वाणिज्यिक 50,000 / रु.
बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म	2000 / रु.
नई किस्म	व्यक्तिगत 7,000 / रु. शैक्षणिक 10,000 / रु. वाणिज्यिक 50,000 / रु.
वह विद्यमान किस्म जिसके बारे में सामान्य ज्ञान है	व्यक्तिगत 7,000 / रु. शैक्षणिक 10,000 / रु. वाणिज्यिक 50,000 / रु.
कृषक किस्म	कोई शुल्क नहीं

ख. डीयूएस परीक्षण शुल्क

विवरण पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की शासकीय वेबसाइट (www.plantauthority.gov.in) पर उपलब्ध है

ग. वार्षिक शुल्क

किस्म का प्रकार	*वार्षिक शुल्क*
नई किस्म	2000 / –रु. + और पिछले वर्ष के दौरान पंजीकृत किस्म के बीज की बिक्री मूल्य का 0.2% तथा किसी पंजीकृत किस्म के बीज की बिक्री आदि से पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त रॉयल्टी, यदि कोई हो, तो उसका 1 प्रतिशत।
कृषक किस्म	केवल 10 / रु.
बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म	केवल 2,000 / – रुपये
विद्यमान किस्म (वीसीके)	2000 / –रु. + और पिछले वर्ष के दौरान पंजीकृत किस्म के बीज की बिक्री मूल्य का 0.1% तथा किसी पंजीकृत किस्म के बीज की बिक्री आदि से पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त रॉयल्टी, यदि कोई हो, तो उसका 0.5 प्रतिशत।
वार्षिक शुल्क का निर्धारण पिछले वर्ष के दौरान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म के बीजों के बिक्री मूल्य के बारे में पंजीकृत प्रजनक या एजेंट या लाइसेंसधारक द्वारा की गई	

	घोषणा के आधार पर पंजीकृत किस्म के बीज की बिक्री से पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली रॉयल्टी, यदि कोई हो तो, उसके अनुसार किया जाएगा। ऐसा प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद होगा। अद्यतन जानकारी के लिए कृपया प्राधिकरण की वेबसाइट (www.plantauthority.gov.in) कृपया देखें। **घ. नवीकरण शुल्क** व्यक्तिगत : 10,000/–रु. शैक्षणिक संस्थाएं : 20,000/–रु. वाणिज्यिक : 1,00,000/–रु. (एकमुश्त) कृषक : शून्य
44	**किसी किस्म के पंजीकरण के लिए विशिष्टता के क्या मानदंड हैं?** कोई भी नई किस्म या विद्यमान किस्म (बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित किस्म, सामान्य ज्ञान की किस्म या कृषक किस्म) पौधा स्पीसीज के संबंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिसूचित कम से कम एक अनिवार्य आकृतिविज्ञानी गुण के मामले में अन्य सभी विद्यमान किस्मों से विशिष्ट होनी चाहिए या उसमें दावा किया गया कोई विशेष गुण होना चाहिए, बशर्ते कि उसके सत्यापन के लिए मानक प्रोटोकॉल उपलब्ध हो।
45	**डीयूएस परीक्षण के लिए सामान्य और विशिष्ट दिशानिर्देशों के बारे में किस प्रकार जानकारी प्राप्त की जा सकती है?** पंजीकरण के लिए अधिसूचित समस्त फसल स्पीसीज के डीयूएस परीक्षण हेतु सामान्य और विशिष्ट दिशानिर्देश प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
46	**प्रत्येक स्पीसीज के लिए दो या इससे अधिक डीयूएस परीक्षण केन्द्रों की पहचान की गई है। क्या कोई आवेदक दो डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में से किसी एक को अपने पसंद के अनुसार चुन सकता है? क्या इसके बारे में आवेदक को सूचित किया जाएगा।** नहीं, पंजीयक किस्म के परीक्षण के लिए अधिसूचित केन्द्रों में से किसे लिया जाना है, इसके बारे में निर्णय लेता है। तथापि, यदि जिस किस्म के लिए आवेदन किया गया है, उसके गुण की संवेदनशीलता या अभिव्यक्ति से संबंधित कोई कार्यिकीय विशिष्टता हो तो उसका विशिष्ट गुण के रूप में आवेदन में उल्लेख होना चाहिए और पंजीयक को गुण की अभिव्यक्ति की शर्तों के बारे में बताया जाना चाहिए, ताकि पंजीयक प्रजनक को पूर्व सूचना देते हुए उचित निर्णय ले सके। तथापि, फसल उगाने के पूर्व प्रत्याशी किस्म का जिस स्थान/स्थानों पर परीक्षण किया जाना है, उस स्थान/उन स्थानों की सूचना पौधा किस्म जर्नल में प्रकाशित की जाएगी।
47	**क्या यह सत्य है कि डीयूएस परीक्षण सदैव दो विभिन्न डीयूएस परीक्षण केन्द्रों पर किया जाना होता है? क्या यह भी सत्य है कि उन स्पीसीज के लिए केवल एक वर्ष के परीक्षण की आवश्यकता होती है? यदि ऐसा है तो, यदि दो केन्द्रों के परिणाम अलग–अलग आते हैं, उदाहरण के लिए जलवायु के प्रभाव के कारण ऐसा होता है, तो क्या होगा?** हां, यह सत्य है कि डीयूएस परीक्षण सदैव दो भिन्न डीयूएस परीक्षण केन्द्रों पर किए जाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि सामान्य ज्ञान की विद्यमान किस्मों (वीसीके) और कृषक किस्मों का परीक्षण एक वर्ष ही किया जाता है। राष्ट्रीय तुलनीय किस्म तथा स्थानीय दीर्घावधि तुलनीय किस्म जिसे डीयूएस परीक्षण में शामिल किया गया हो, सदैव संकेतकों के रूप में होते हैं जिससे दो स्थानों के बीच विविधता उत्पन्न करने वाली जलवायु के प्रभाव का संकेत मिल जाता है।
48	**आंकड़ा सृजन के लिए तुलना के रूप में संदर्भ के किस्मों को चुनने के लिए क्या कोई सार्वजनिक डेटाबेस है?**

	हां, सक्षम संदर्भ किस्मों पर डेटाबेस है जिसे डीयूएस परीक्षण में इस्तेमाल करना होता है।
49	**किस अवसर पर आवेदक को डीयूएस क्रियाविधि में हुई प्रगति के बारे में सूचित करना होता है?** आवेदक किस्म की रोपाई के पूर्व पौधा किस्म जर्नल में परीक्षण के अंतर्गत किस्मों की संख्या के साथ–साथ डीयूएस परीक्षण के स्थान के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा प्रत्येक मौसम के आंकड़े प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा कार्यशाला के पश्चात् उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि वेबसाइट में अधिसूचित है, परीक्षण के दौरान पंजीयक की अनुमति से स्थान का दौरा करने की क्रियाविधि भी उपलब्ध है।
50	**क्या प्रजनकों द्वारा अन्य किस्मों के डीयूएस परीक्षण के लिए दौरे की कोई संभावना है?** हाँ। भारत का कोई भी नागरिक अधिसूचित स्थानों में से किसी भी स्थान पर डीयूएस जांच हेतु परीक्षण का निरीक्षण कर सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को स्थान के दौरे के बारे में किसी भी प्रत्याशी किस्म के पुष्पन का मौसम आरंभ होने के पूर्व लिखित में दौरे का समय बताते हुए अनुरोध करना होगा जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसा प्रत्येक दौरे के लिए तीन घंटे की समय–सीमा रखते हुए किया जा सकेगा। आवेदक सहित किसी भी आगंतुक को प्रत्याशी किस्म की विशिष्ट पहचान से तब तक अवगत नहीं कराया जाएगा जब तक कि पंजीकार दावा किए गए गुण या लक्षण–वर्णन से संबंधित किसी मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए आवेदक को आमंत्रित न करे। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
51	**क्या डीयूएस परीक्षण में सभी किस्मों को कोड किया जाता है?** हाँ। प्रत्याशी किस्म को प्रत्येक डीयूएस परीक्षण में दो बार कोड किया जाता है, पहली बार प्रथम कोड के रूप में तृतीय पक्ष के गैर–फसल पादप प्रजनक द्वारा (गवाह की उपस्थिति में सीलबंद करके लॉकर में रखा जाता है) कोड किया जाता है जिसे बाद में प्रथम कोड को डिकोडित करने की कुंजी को बिना जाने अध्यक्ष द्वारा पुनः कोड किया जाता है ताकि प्रथम कोड विशेषज्ञ और न ही अध्यक्ष तब तक डीयूएस परीक्षण में परीक्षण की जा रही प्रविष्टि का वास्तविक नाम न जान सके। जब तक परीक्षण के दौरान किसी आपात अवस्था में किस्मों के वास्तविक नामों को डिकोडित करना अनिवार्य न हो जाए। ऐसी स्थिति में आवेदक को स्पष्टीकरण या दृष्टव्य रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया जाएगा तथा इस संबंध में पंजीयक द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
52	**क्या वृक्षों और लताओं के स्थल पर परीक्षण का कोई प्रावधान है?** हाँ। आवेदक के पास स्थल पर परीक्षण का विकल्प उपलब्ध है और इसके लिए निर्धारित शुल्क सामान्य डीयूएस परीक्षण के लिए निर्धारित शुल्क के चार गुने से अधिक नहीं होगा। शुल्क का विवरण पीपीवी और एफआरए की वेबसाइट (www.plantauthority.gov.in) पर उपलब्ध है।
53	**विशेष परीक्षण कब किए जाते हैं?** विशेष परीक्षण केवल तभी किए जाते हैं जब डीयूएस परीक्षण द्वारा विशिष्टता की अपेक्षा स्थापित नहीं हो पाती है। यदि आवेदन में यह उल्लेख हो कि जिस किस्म के लिए किसी उस विशेष गुण की अभिव्यक्ति के लिए जो विद्यमान किस्म से विशिष्ट हो, के लिए आवेदन किया जा रहा है, तथा जो विशिष्ट पर्यावरणीय प्राचलों के अंतर्गत ही दृष्टव्य हो अथवा किसी रोगजनक या नाशीजीव के आक्रमण के दौरान ही व्यक्त होता हो अथवा बाहर से न दिखाई देने वाले रासायनिक उत्पाद के रूप में व्यक्त होता हो या जो किसी गुण को परिवर्तित न करता हो, ऐसे गुण की अभिव्यक्ति के मामले में विद्यमान किस्म अन्य किस्मों से विशिष्ट है तो संदर्भ किस्म के साथ प्रथम वर्ष का परीक्षण करने के पश्चात् दो किस्मों के बीच भेद स्थापित करने में डीयूएस परीक्षण के असफल रहने की अवस्था में उल्लिखित परीक्षण प्रोटोकॉल का उपयोग उस गुण की अभिव्यक्ति को मापने के लिए किया जाएगा जिसे पर्यावरणीय प्राचल के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा सकता हो और जिससे डीएनए/आरएनए विश्लेषण सहित रासायनिक/जैव रासायनिक अंश के निष्कर्षण या

	रोगजनक द्वारा संक्रमित होने का संकेत मिलता हो।
54	**क्या परीक्षण के लिए बीज की समरूपता के स्तरों तथा अपेक्षाओं के संबंध में कोई छूट है?** हाँ। अधिनियम के विनियमों में प्रावधान है कि कृषक किस्म के रूप में परिभाषित किसी किस्म के लिए समरूपता का स्वीकार्यता स्तर भारतीय पौधा किस्म जर्नल में निर्धारित किए गए संबंधित स्पीसीज के लिए बेमेल प्रकारों की संख्या का दुगुना तक हो सकता है।
55	**विद्यमान किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने की क्या कोई समय–सीमा है?** हाँ। जब कभी भी प्राधिकरण अधिसूचित करता है कि कोई फसल स्पसीज पंजीकरण की पात्र है तो समय–समय पर प्राधिकरण फसल स्पसीज (विद्यमान किस्मों) में पहले से विद्यमान किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय–सीमा भी अधिसूचित करता है जिसके बारे में प्राधिकरण की वेबसाइट (www.plantauthority.gov.in) पर सूचना उपलब्ध है। सामान्यतः यह समय–सीमा प्रत्येक मामले के आधार पर तीन इससे अधिक वर्ष निर्धारित है। यह समय–सीमा विद्यमान किस्म (कृषक किस्मों के अलावा) के मामले में भारतीय पौधा किस्म जर्नल में संबंधित फसल स्पसीज की प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति की प्रकाशन की तिथि से लागू होती है तथा कृषक किस्मों के मामले में यह 10 वर्ष है।
56	**पंजीकरण के पश्चात् भारत में पौधा किस्मों की सुरक्षा की अवधि क्या है?** पंजीकृत किस्मों की सुरक्षा की अवधि निम्नानुसार है : 1. वृक्ष और लताएं : पंजीकरण प्रमाण–पत्र स्वीकृत होने की तिथि से 18 वर्ष। 2. अन्य फसलें : पंजीकरण प्रमाण–पत्र स्वीकृत होने की तिथि से 15 वर्ष। 3. बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्मों के लिए – बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष
57	**आवेदन दाखिल किए जाने की तिथि से पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिए जाने की तिथि तक आवेदक प्रजनक को क्या सुरक्षा उपलब्ध है?** धारा 24(5) के अंतर्गत पंजीयक को किसी प्रजनक के हितों की सुरक्षा (अनंतिम सुरक्षा) के निर्देश जारी करने का अधिकार है। यह सुरक्षा पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने के बीच की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा किए जाने वाले किसी आपत्तिजनक कार्य के विरुद्ध की जाती है और ऐसे आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है।
60	**क्या किसी अन्य आवेदक/आवेदकों के आवेदन/आवेदनों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना संभव है?** हाँ। किसी भी आवेदन पत्र की उसके अनुलग्नकों के साथ प्रमाणित प्रतियां इस उद्देश्य से फार्मेट पीवी–33 में आवेदन दाखिल करने के पश्चात् प्राप्त की जा सकती हैं जिसके लिए अधिसूचित वांछित शुल्क अदा करना होता है।
61	**प्राधिकरण द्वारा प्राप्त बीजों का क्या किया जाता है?** किसी विशिष्ट स्पसीज के डीयूएस दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए बीज का कुछ भाग जो आवेदन के प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराया जाता है, किस्म (जनकों व नर वंध्य अनुरक्षकों के साथ संकरों, यदि हों तो) के नमूनों को भंडारित करने के लिए पीपीवी और एफआरए के राष्ट्रीय जीन बैंक में भंडारित किया जाता है। ऐसा पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान नियंत्रित तापमान और नमी के अंतर्गत होता है और अंततः पंजीकरण के पश्चात् मध्यम अवधि के शीत भंडारण जीन बैंक में हस्तांतरित कर दिया जाता है। बीज के अन्य भागों का उपयोग, जिस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण का आवेदन किया गया है, उसके अनुसार डीयूएस या ग्रो आउट परीक्षण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा संकरों के मामले में इसका

	उपयोग आवेदन में किए गए प्रतिशत संबंधी दावे के सत्यापन के लिए होता है।
62	**क्या वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित सामग्री को भी राष्ट्रीय जीन बैंक में भंडारित किया जाता है? क्या प्राधिकरण किसी डीएनए नमूने को भी भंडारित करता है?** प्राधिकरण वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित सामग्री को फील्ड जीन बैंक में अनुरक्षित करता है तथा डीएनए नमूना भंडारित नहीं किया जाता है या उसे आवेदक प्रजनक से मंगाया भी नहीं जाता है।
63	**क्या धारा 2(आर) के अंतर्गत वानस्पतिक रूप से जनित स्पसीज के रूप में परिभाषित प्रवर्धन सामग्री को भी वह पादप सामग्री कहा जाता है जो कोई अन्य पौधा सच्चे प्रकार के रूप में जनित कर सकता है? क्या इसमें मैरी स्टेमेटिक कोशिकाओं से युक्त सभी कर्तित पुष्प भी शामिल हैं?** हाँ, यह सत्य है।
64	**डीयूएस परीक्षण के दौरान किसी पौधा स्पीसीज की फसल से प्राप्त किए गए बीज किस प्रकार भंडारित किए जाते हैं।** डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष के पश्चात प्राप्त की गई बीजों की पूर्व निर्धारित मात्रा को अगले सीजन की फसल उगाने के लिए बचाकर रखा जाता है, ताकि उसकी आनुवंशिक स्थिरता का परीक्षण किया जा सके तथा प्रथम वर्ष के बचे हुए बीज तथा बाद में दूसरे वर्ष उत्पन्न किया गया सारा बीज पारिस्थितिक दृष्टि से अनुकूल विधि के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है।
65	**क्या कोई प्रजनक सुरक्षित किस्म के बीज का नमूना राष्ट्रीय जीन बैंक से प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है? यदि ऐसा है तो, कब?** नहीं। प्राधिकरण द्वारा अपने जीन बैंक में रखे गए बीजों का नमूना किसी भी उद्देश्य से किसी अन्य प्रजनक को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसका उपयोग प्राधिकरण द्वारा किसी कानूनी विवाद के दौरान आवश्यकतानुसार किसी दावे या सत्यापन के लिए किया जा सकता है। एक ऐसा दावा जिसके बारे में प्राधिकरण नमूना लेने का निर्णय ले सकता है, 'अनिवार्य लाइसेंसीकरण' की प्रक्रिया है जहां यदि सुरक्षित किस्म या तो किसान को उपलब्ध नहीं कराई जाती है या पंजीकृत प्रजनक द्वारा बीज उत्पादकों को नहीं उपलब्ध कराई जाती है अथवा किस्म की सुरक्षा पंजीकरण की तिथि के तीन वर्ष बाद भी अनुचित रूप से उच्च मूल्य पर बेची जाती है तो ऐसा किया जा सकता है। अनिवार्य लाइसेंस पंजीकृत प्रजनक का पक्ष सुनने के बाद ही स्वीकृत किया जाता है तथा जन–सामान्य की मांग को पूरा करने के लिए पंजीकृत किस्मों के बीज की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करने के लिए समय–सीमा बढ़ाने की अनुमति देने के लिए भी ऐसा किया जाता है।
66	**सुरक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद जीन बैंक में भंडारित बीजों का क्या होता है?** पंजीकृत किस्म के बीज एलटीएस शर्तों के अंतर्गत एनबीपीजीआर के राष्ट्रीय जीन बैंक को सौंप दिए जाते हैं जिसके लिए प्राधिकरण की समिति द्वारा विकसित किए जा रहे उचित मानक अपनाए जाते हैं। शीघ्र ही इन मानकों को सार्वजनिक किया जाना है।
67	**किसी नियम के उल्लंघन के मामले में क्या कोई आवेदक भंडारित बीज का नमूना/के नमूने मांग सकता है?** नहीं। भंडारित बीज नमूने केवल अनिवार्य लाइसेंस दिए जाने के मामले में ही सौंपे जा सकते हैं और नियम उल्लंघन के मुकदमों की सुनवाई के पश्चात् न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं।
68	**क्या जिस किस्म के पंजीकरण के लिए नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया गया है, उसे डीयूएस परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान अधिसूचित होने पर विद्यमान अधिसूचित किस्म की श्रेणी में पंजीकृत कराया जा सकता है?** नहीं। यदि नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण हेतु जिस किस्म के लिए आवेदन दिया गया है, वह पंजीकरण की तिथि के बाद बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित हो जाती है और उसे नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत संख्या दे दी जाती है तो उसे नई किस्म केवल

	तभी माना जाएगा जब उसके पंजीकरण हेतु डीयूएस परीक्षण का कोई तार्किक निष्कर्ष निकलता है। तथापि किस्म बीज अधिनियम (1966) के अंतर्गत पहले से अधिसूचित है तो प्रजनक के पास उस किस्म को नई किस्म या सामान्य ज्ञान की विद्यमान किस्म के अंतर्गत पंजीकृत कराने का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। उस किस्म के पंजीकरण के लिए विद्यमान अधिसूचित किस्म श्रेणी में पंजीकरण का आवेदन दिया जा सकता है।
69	**जब कोई किस्म बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित होती है तो क्या वह बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्मों की श्रेणी में आती है और कब उसे नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है?** यदि आवेदन दाखिल करने की तिथि पर कोई किस्म बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत पहले से ही अधिसूचित है तो उसे बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म ही माना जाएगा। तथापि, यदि आवेदन दाखिल करने के पश्चात् किस्म बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित होती है तो उसे केवल नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा, विद्यमान (अधिसूचित) के रूप में नहीं माना जाएगा।
70	**क्या प्रजनकों के लिए सीमित समय में उन किस्मों के लिए आवेदन करना संभव है जो अब नवीनता का मानदंड पूरा नहीं करती हैं और क्या उन स्पसीज के लिए भी ऐसा संभव है जो हाल ही में सुरक्षा योग्य वंश और स्पसीज की सूची में शामिल की गई हैं [अनुच्छेद 29 (2)]?** हाँ। विद्यमान किस्मों के पंजीकरण के प्रावधान में पहले से विद्यमान किस्म को वाणिज्यीकृत किस्म के रूप में या उपयोग में लाए गए जनक अंतःप्रजात के रूप में अथवा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पादप प्रजनन के उपयोग में दाता जनक के रूप में पंजीकरण की अनुमति है। तथापि, वार्षिक तथा बहुवार्षिक जातियों के मामले में यह अवधि आवेदन की तिथि से क्रमशः 15 या 18 वर्ष से अधिक नहीं होती है। यदि कोई किस्म नवीनपन के आधार को पूरा नहीं करती है या उसका व्यापार नहीं हुआ होता है अथवा आवेदन किए जाने की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय की अवधि तक उपयोग में आ रही होती है तो प्रजनक उसे विद्यमान किस्म की श्रेणी में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। प्रजनक विद्यमान किस्म की श्रेणी या नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत केवल तभी आवेदन कर सकता है जब जाति को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 29(2) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो तथा अधिसूचना की ऐसी तिथि से उसे एक विशिष्ट अवधि के लिए अधिसूचित किया गया हो। सामान्यतः यह अवधि ऐसी अधिसूचना के जारी होने की तिथि से या प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि से तीन वर्ष की होती है।
71	**क्या आवेदन दाखिल किए जाने की तिथि से प्रक्रिया के अंतिम रूप से पूरा होने की तिथि की कोई सर्वाधिक अवधि है?** नहीं। नई किस्म के पंजीकरण की सर्वाधिक अवधि सभी प्रकार से पूर्ण या सही आवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय से तीन वर्ष की है, लेकिन अधिसूचित कैलेण्डर समय में ऐसा संबंधित स्पसीज के लिए अलग–अलग हो सकता है। इसे प्रत्येक मामले में आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जाता है, तथापि, सामग्री मौसम की समय–सीमा, अपरिहार्य अथवा अनिश्चित कारणों के आधार पर परीक्षण प्रोटोकॉल के असफल होने पर उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर भी यह समय–सीमा निर्धारित की जा सकती है।
72	**कोई आवेदक प्राधिकरण में अपने आवेदन की वास्तविक समय संबंधी स्थिति की जांच किस प्रकार कर सकता है?** आवेदन के विवरण तथा उसकी स्थिति प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाले जाते हैं तथा विभिन्न कुंजी शब्दों जैसे REG No, denomination, Breeder आदि का उपयोग करके स्थिति को ऑन–लाइन ज्ञात किया जा सकता है।

73	**पीपीवी और एफआर अधिनिम, 2001 के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को क्या अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं?** कोई भी अनुसंधानकर्ता निम्न के लिए स्वतंत्र है : (क) प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत किसी पंजीकृत किस्म का उपयोग करने के लिए; अथवा (ख) किसी अन्य पंजीकृत किस्म के साथ संकरण कराने (जिसे एफ$_1$ पीढ़ी जाना जाता है) के लिए आरंभ में एक बार उपयोग करने हेतु अथवा एफ$_2$ पीढियों से प्रजनन सामग्री सृजित करने हेतु अन्य जनक के रूप में अन्य किस्म का उपयोग करने के लिए किसी भी प्रजनन विधि के द्वारा पीढ़ियों की चाहे जितनी भी संख्याएं तैयार करने के लिए अथवा दो जनकों से पुनर्संयोगी जीनों का उपयोग करने के लिए इनमें से प्रजनक अपनी किस्म के रूप में मुक्त होकर विभिन्न प्रकारों की कितनी भी संख्या चुन सकता है। तथापि, यदि उसे नई विकसित किस्म के उत्पादन के लिए अनिवार्य रूप से जनक वंशक्रम के रूप में पंजीकृत किस्म का बार–बार उपयोग करना हो, तो उसे इसके लिए पंजीकृत प्रजनक का प्राधिकार प्राप्त करना होगा (उदाहरण के लिए संकर के एक या दोनों जनकों के रूप में पंजीकृत किस्म/किस्मों को शामिल करते हुए, जैसा भी मामला हो, संकर का उपयोग करना अथवा ईडीवी विकसित करने के लिए पुनरावर्ती जनक के रूप में पंजीकृत किस्म का उपयोग करना)।
74	**संकर पौधा किस्मों का मातृ एवं पितृ किस्मों के साथ सामूहिक पंजीकरण क्या है?** आनुवंशिक रूप से कोई भी संकर बीजोत्पादन की अपनाई गई उत्पादन क्रियाविधि के अनुसार विशिष्ट जनकों को शामिल करते हुए सुरक्षित/प्रगुणित/सृजित किया जा सकता है। अतः सैद्धांतिक रूप से सभी शामिल जनक और संकर सामान्य रूप से खोजी जा सकने वाली पंजीकरण संख्या (REG No.) के माध्यम से जुड़े रहते हैं तथा प्रत्येक घटक के लिए एक अक्षर का प्रत्यय के रूप में उपयोग होता है। इस प्रकार, किसी संकर किस्म के लिए केवल उसके जनकों के साथ पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है और संकर केवल अपने जनकों के माध्यम से ही पंजीकरण योग्य होता है। चूंकि, संकर और जनक एक साथ मिलकर एक इकाई बनाते हैं, अतः किसी संकर किस्म को इसके जनकों के साथ यौगिक पंजीकरण के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक जनक और संकर के लिए अलग–अलग पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी होगा जिसमें संकर के साथ संबंध का ब्यौरा होगा। जैसे किसी संकर का मादा/नर/अनुरक्षक जनक ऐसा पंजीकृत प्रजनक द्वारा प्रत्येक मामले में वाणिज्यीकरण की सुविधा हेतु किया जाएगा।
75	**किसी संकर के मातृ एवं पितृ किस्मों के साथ सामूहिक पंजीकरण के क्या लाभ हैं?** कोई भी संकर किस्म एक ही पंजीकरण शुल्क से संकर और जनक वंशक्रमों के लिए एक ही REG संख्या (पावती संख्या) के साथ यौगिक पंजीकरण के रूप में पंजीकृत होगी तथा संकर और जनक वंशक्रमों के लिए अलग से डीयूएस परीक्षण शुल्क लिया जाएगा। संकर की दो मौसमों के दौरान दो स्थानों पर अधिसूचित डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में जांच की जाएगी जबकि जनकों की जांच गोपनीयता बनाए रखते हुए पीपीवी और एफआरए द्वारा अधिसूचित किसी केन्द्र पर दो मौसमों के दौरान की जाएगी। संकर तथा जनकों के दूसरे वर्ष का परीक्षण संबंधित स्थानों पर प्रत्याशी संकर व जनकों के दो प्लाटों में किया जाएगा जिनमें से एक प्राधिकरण द्वारा उत्पन्न संकर और जनक बीजों के लिए होगा तथा दूसरा आवेदक द्वारा आपूर्त किए गए बीजों के लिए होगा।
76	**क्या यौगिक पंजीकरण की क्रिया उन विद्यमान संकर किस्मों के मामले में भी लागू है जिनके बारे में सामान्य ज्ञान है और जो बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत विद्यमान संकर किस्म के**

	रूप में अधिसूचित हैं? हाँ, बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान संकर किस्म के मामले में कोई डीयूएस परीक्षण नहीं किया जाएगा। तथापि, दो जनकों के संकर द्वारा प्रस्तुत जनकों का संकर बीज उत्पादन किया जाएगा, ताकि जैसा कि दावा किया गया है, प्रस्तुत किए गए संकर के स्रोत के रूप में जनक की पुष्टि की जा सके।
77	**क्या त्रिमार्गी संकरित या दोहरे संकरित अथवा अनेक जनक श्रृंखला संकरित संकर पंजीकरण के पात्र हैं?** नहीं, सभी बीज प्रवर्धित संकरों के मामले में जैसा कि पीपीवी और एफआरए (2001) की किस्म के लिए 2(za) व बीज के लिए धारा 2(x) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। कोई भी अनेक जनक (दो जनकों से अधिक जनकों) द्वारा सृजित संकर बीज और किस्म की दोनों परिभाषाओं को आनुवंशिक रूप से पूरा नहीं करता है। अतः वर्तमान अधिनियम के अनुसार किसी त्रिमार्गी संकरित या दोहरे संकरित अथवा बहुजनक श्रृंखला संकरित संकर का पंजीकरण करना व्यावहारिक नहीं है।
78	**यदि प्रत्याशी संकर किस्म या इसका कोई भी जनक समरूपता के मामले में असफल हो जाता है और कोई एक जनक स्थायित्व परीक्षण में असफल रहता है, तो क्या होगा?** यदि प्रत्याशी संकर या उसका कोई भी जनक समरूपता परीक्षण में असफल रहता है और जनक स्थायित्व परीक्षण में असफल रहते हैं तो संकर और जनक जो समरूपता और स्थायित्व दोनों परीक्षणों में असफल रहे हैं, अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यदि कोई भी जनक समरूपता, स्थायित्व और विशिष्टता के परीक्षण में सफल रहता है तो अंतःप्रजात किस्म बिना संकर का संदर्भ दिए अंतःप्रजात किस्म के रूप में पंजीकृत की जाएगी।
79	**यदि प्रत्याशी संकर किस्म समरूपता परीक्षण में सफल रहती है व विशिष्टता के मामले में असफल रहती है तथा दोनों जनक विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व परीक्षणों में सफल होते हैं, तो क्या होगा?** ऐसे मामले में संकर + जनक सुरक्षा के लिए पात्र हो जाते हैं। जहां जीनोमी संसाधन उपलब्ध होते हैं वहां पुष्टि के लिए विशेष परीक्षण के रूप में संकर जीन प्ररूपी फिंगर प्रिंट को बनाए रखा जाता है। इसके विपरीत जो प्रत्याशी संकर असफल हो गया है, डीयूएस परीक्षण में उसके आकृतिविज्ञानी गुण स्पष्ट नहीं हो पाते हैं।
80	**यदि प्रत्याशी संकर किस्म को समरूपता की दृष्टि से अस्वीकार्य कर दिया जाता है और यदि कोई भी जनक डीयूएस परीक्षण में सफल रहता है तो इसका क्या परिणाम होगा?** ऐसे मामलों में, जनक को आवेदक द्वारा अपनाए गए विकल्प के साथ नई अंतःप्रजात किस्मों के रूप में पंजीकृत किया जाता है। तथापि, इसके लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क जमा कराना होता है। इस किस्म को 'अंतःप्रजात किस्म' का दर्जा दिया जाएगा और संकर प्रणाली में नहीं रखा जाएगा। तथापि, चूंकि अंतःप्रजात जनक डीयूएस के रूप में स्थापित हैं, अतः उसी संकर को पंजीकृत कराने के लिए प्रजनक द्वारा संशोधित करते हुए नया आवेदन देना होगा। इस अवस्था में उस संकर को सबसे पुरानी जनक किस्म की सुरक्षा की अवधि से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
81	**मातृ एवं पितृ किस्मों के साथ सामूहिक पंजीकरण के मामले में प्रत्याशी संकर और उसके जनकों की सुरक्षा की अवधि क्या होगी?** वार्षिक स्पसीज के मामले में नई संकर किस्म की सुरक्षा की अवधि 15 वर्ष तथा बहुवार्षिक या लताओं या वृक्षों के मामले में 18 वर्ष होगी, बशर्ते कि शामिल जनक पहले से ही पंजीकृत हो। यदि एक या अधिक जनक पहले से पंजीकृत हैं तो संकर की वैधता की अवधि वह होगी जो

	जनकों में से सबसे पहले पंजीकृत जनक की सुरक्षा की अवधि है।
82	**यदि किसी एक आवेदक के अनेक संकरों का एक सामान्य जनक हो तो क्या आवेदक को सामान्य जनक का बीज बार–बार प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि यह केवल जीन बैंक में भंडारण के लिए होता है?** नहीं, तथापि प्राधिकरण पूर्व आवेदन के साथ पहले से प्रस्तुत किए गए बीज से सामान्य जनक के बीज का उपयोग करेगा, ताकि नए संकर की जनकता के दावे का सत्यापन किया जा सके।
83	**क्या प्राधिकरण विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व की जांच में आण्विक तकनीकों (डीएनए प्रोफाइल) जैसी उन्नत डीयूएस परीक्षण क्रियाविधियों का उपयोग करता है?** नहीं, डीयूएस परीक्षण आकृतिविज्ञानी गुणों पर आधारित होता है। तथापि, यदि कोई प्रजनक ऐसे किसी विशिष्ट गुण का दावा करता है जो सभी पर्यावरणों में व्यक्त नहीं होता है, लेकिन किसी विशेष गुण के लिए उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से उसकी पुष्टि होती है तो ऐसा किया जा सकता है। तथापि, वह डीयूएस परीक्षण का विकल्प नहीं होगा।
84	**किसी ईडीवी के विशिष्ट गुण क्या हैं?** (क) यह लक्षित गुणों के मामले में ऐसी आरंभिक किस्म, संकर के जनकों या संकर से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। (ख) व्युत्पन्नीकरण की क्रिया के परिणामस्वरूप लक्षित गुण में भेद के कारण अभिव्यक्ति के गुण के अतिरिक्त आरंभिक किस्म अथवा संकर के आरंभिक जनकों के समरूप होती है।
85	**पराजीनी किस्मों के पंजीकरण हेतु अतिरिक्त प्रावधान क्या हैं?** पराजीनी अथवा पराजीनी घटनाएं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम (1986) के अंतर्गत प्रत्याशी किस्म के रूप में स्वीकृत की जाती है। उसके पश्चात् निम्नानुसार आवेदन दिया जाता है। क यदि पराजीनी घटना का किसी नए अज्ञात/जारी न हुए जीनप्ररूप में समाहन हुआ है तो पराजीन का परीक्षण विशेष गुण के रूप में पराजीनी घटना के साथ नई किस्म के रूप में किया जाएगा, बशर्ते कि आवेदक ऐसा चाहता हो। यदि यह घटना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू की गई किसी शर्त अथवा प्रतिबंध के बिना अ–विनियमित की जाती है तो किस्म का परीक्षण विशिष्ट नई किस्म के रूप में किया जाएगा। ख. यदि पराजीनी घटना किसी पहले से सुरक्षित किस्म की पृष्ठभूमि में घटी है तो इसे www.plantauthority.nic.in पर उपलब्ध पंजीकरण के लिए ईडीवी की परीक्षण प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश के अनुसार ईडीवी के रूप में किया जाएगा। ग. यदि पराजीनी घटना किसी सामान्य ज्ञान की किस्म में घटी है और वह सुरक्षित नहीं की गई है तो उसे नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत प्रत्याशी के परीक्षण के लिए संदर्भ किस्म के रूप में लिया जाएगा। घ. यदि कोई पराजीनी घटना किसी पहले से सुरक्षित पराजीनी घटना में स्टेक (Stacked) की गई घटना के रूप में है तो मूल पराजीनी किस्म ईडीवी के रूप में परीक्षण हेतु संदर्भ के रूप में रहेगी। यदि वह सुरक्षित नहीं की गई है तो उस पर उपरोक्त (ग) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
86	**क्या किसी किस्म को ईडीवी की ईडीवी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।** ईडीवी के ईडीवी के रूप में नहीं। किसी ईडीवी की ईडीवी नहीं हो सकती है। तथापि, जो ईडीवी विद्यमान ईडीवी से व्युत्पन्न हुई है उसे ईडीवी–2 या ईडीवी–3 या ईडीवीx के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। तथापि इसे मूल आरंभिक किस्म का माना जाएगा और जो प्रथम ईडीवी की स्रोत आनुवंशिक पृष्ठभूमि भी होगी।

87	**जब कोई ईडीवी2 आरंभिक किस्म की केवल ईडीवी के रूप में ईडीवी1 पंजीकृत की जाती है और जिससे ईडीवी1 भी उत्पन्न हुई हो तो जब ईडीवी2 के प्रजनक में केवल ईडीवी1 का उपयोग किया हो लेकिन इसकी आरंभिक किस्म का न किया हो तो ईडीवी1 के प्रजनक को क्या लाभ होगा?** जब कोई परवर्ती ईडीवी पूर्ण विद्यमान ईडीवी से व्युत्पन्न होती है तो सभी पूर्ववर्ती ईडीवी का/के पंजीकृत प्रजनक और इसके साथ ही आरंभिक किस्म के पंजीकृत प्रजनक (जिसका उपयोग करके ईडीवी1 मूल रूप से विकसित की गई थी), लाभ में भागीदारी के उपबंध के अंतर्गत निर्धारित किया गया लाभ प्राप्त करेंगे। लाभ के मूल्य के बारे में निर्णय प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा जिसके अंतर्गत ऐसे प्रत्येक ईडीवी या आरंभिक किस्म से हस्तांतरित किए गए जीनों के सापेक्ष मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ईडीवी2 के प्रजनक को आरंभिक किस्म के प्रजनक और वास्तव में बार–बार उपयोग करने पर अन्य पिछले अंतिम ईडीवी के प्रजनक से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति पूर्व ईडीवी के व्युत्पन्न गुण के साथ मूल आरंभिक किस्म के जीनोम को प्राप्त करने के लिए नए प्रजनक द्वारा ली जाएगी। इस प्रकार, आरंभिक किस्म का प्रजनक और उसके साथ–साथ बाद के ईडीवी प्रजनक ईडीवी के वाणिज्यीकरण से होने वाले लाभ को अपने पास रख सकते हैं।
88	**क्या शीर्षक धारक धारा 28 से मिले एकमात्र अधिकार का उपयोग प्रवर्धन सामग्री सहित किसी किस्म को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण, आयात अथवा निर्यात के लिए कर सकता है?** हाँ। पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 से संबंधित धारा 28(1) और (2) के अंतर्गत प्रजनक के अधिकार निम्न प्रकार हैं : पंजीकरण के द्वारा प्रजनक या उसके उत्तराधिकारी, उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, एजेंट या लाइसेंसधारक को किस्म को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण करने, आयात या निर्यात करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। विद्यमान किस्म के मामले में जब तक प्रजनक अथवा उसके उत्तराधिकारी को अधिकार प्राप्त नहीं होता है और जिन मामलों में ऐसी विद्यमान किस्म बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र के लिए अधिसूचित की जाती है और जहां राज्य विमोचन से संबंधित सूचना होती है वहां राज्य सरकार ऐसे अधिकार की स्वामी मानी जाएगी। पादप प्रजनक के अधिकार उन पौधा किस्मों के सभी प्रकारों पर लागू हैं जिनके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है।
89	**क्या कोई पंजीकृत प्रजनक बिना कोई शर्त लगाए किसी किस्म को उत्पन्न करने, बेचने, विपणन करने, बिक्री करने, आयात या निर्यात करने का एकमात्र अधिकार किसी अन्य को सौंप सकता है?** नहीं। पंजीकृत प्रजनक या उसका उत्तराधिकारी उपरोक्त बातों के लिए कोई एजेंट या लाइसेंसधारक नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि वह एजेंट या लाइसेंसधारक विशेष अधिकार प्राप्ति और शर्तों अथवा प्रतिबंधों के साथ किसी किस्म के पंजीकरण में पंजीयक के पास अपना शीर्षक दर्ज कराता है। साथ ही यह शर्त भी है कि पंजीकृत किस्म द्वारा उस पर ऐसा कोई प्रतिबंध न लगाया गया हो। तथापि, किसी किस्म को उत्पन्न करने या बेचने या विपणन करने अथवा ऐसे ही किसी संबंधित कार्य के लिए पंजीकृत प्रजनक द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई भी व्यक्ति विनियम 13 के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों का पालन करते हुए पंजीकृत प्रजनक द्वारा विशेष अधिकार का उपयोग करने के

	लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। इसके लिए उसे रजिस्ट्री में रजिस्टर नहीं कराना होगा, जैसा कि एजेंट या लाइसेंसधारक के मामले में करना पड़ता है।
90	**क्या कोई व्यक्ति ऐसी किस्म के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है जिसे प्रजनक द्वारा बीज के रूप में पहले से ही बाजार में बेचा जा रहा हो अथवा जिसे उसी प्रजनक अथवा किसी अन्य विधान संगत व्यक्ति द्वारा दाता या जनक सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जा रहा हो?** हाँ, जब प्रथम उपयोग के पश्चात् किसी स्वीकार्य अवधि में उपरोक्त स्थितियों में अपनाया जा सकता है। ये स्थितियां निम्नानुसार हैं : क) कोई भी आवेदक बाजार में किस्म की बिक्री अथवा अन्य रूप में उसके उपयोग की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत नई किस्म के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है (एक वर्ष की अवधि नई किस्म की नवीनता की वैधता के रूप में मानी जाती है)। ख) किसी विद्यमान किस्म के लिए यदि बिक्री अथवा किसी अन्य प्रकार से उपयोग में लाए जाने की तिथि आवेदन दाखिल किए जाने की तिथि से एक वर्ष से अधिक की है, लेकिन बीज प्रवर्धित फसलों के मामले में 15 वर्ष से कम और वृक्षों व लताओं के मामले में 18 वर्ष से कम है तो विद्यमान किस्म के पंजीकरण हेतु आवेदन अधिसूचित वैधता की अवधि में ही दाखिल किए जा सकते हैं। यह विद्यमान किस्म की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली फसल स्पीसीज की किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने के मामले में भी लागू होगा। किस्मों की विद्यमान श्रेणी के पंजीकरण को स्वीकार करने की अवधि स्पीसीज की अधिसूचना जारी करते समय प्राधिकरण द्वारा स्पीसीज–वार अधिसूचित की जाती है। ग) विद्यमान किस्में (कृषक किस्मों के अलावा) दो प्रकार की होती हैं : (i) विद्यमान अधिसूचित किस्म : बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित किस्म के पंजीकरण के लिए खेत फसलों के मामले में 15 वर्ष की अवधि तक और वृक्षों के मामलों में 18 वर्ष की अवधि तक आवेदन किया जा सकता है। उपरोक्त दोनों अवधियां बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना की तिथि से मानी जाती हैं। तथापि, विद्यमान अधिसूचित किस्म की सुरक्षा की कुल अवधि प्रत्येक मामले के अनुसार 15 या 18 वर्ष होती है (वार्षिक और वृक्षों या लताओं की दो श्रेणियों में) । इन अवधियों की गणना भी बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना की तिथि से की जाती है। (ii) सामान्य ज्ञान की विद्यमान किस्म (वीसीके) : यदि कोई किस्म बीज अधिनियम (1966) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है लेकिन उसका वाणिज्यिक विपणन हो रहा है अथवा एक वर्ष से अधिक अवधि तथा खेत फसलों के मामले में 15 वर्ष से कम व वृक्षों व लताओं के मामले में 18 वर्ष से कम अवधि के दौरान उसका उपयोग किया जा रहा है तो उसे भी विद्यमान वीसीके के रूप में सुरक्षित कराने का आवेदन दाखिल किया जा सकता है।
91	**प्रजनक के अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में पंजीकृत किस्म की साज–संभाल या उसके नाम के उपयोग के संदर्भ में विभिन्न गतिविधियां क्या हैं?** क) यदि कोई व्यक्ति जो उस किस्म का पंजीकृत प्रजनक या एजेंट या लाइसेंस धारक नहीं है, प्रजनक की अनुमति के बिना उसे बेचता है या निर्यात करता है या आयात करता है या उत्पन्न करता है अथवा पंजीकृत लाइसेंस धारक या पंजीकृत एजेंट, जैसा भी मामला हो, की अनुमति के बिना पंजीकृत लाइसेंस या पंजीकृत एजेंसी की अधिकार सीमा में ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। (ख) कोई भी वह व्यक्ति जो किसी किस्म को उससे मिलता–जुलता नाम देकर अथवा पंजीकृत किस्म के नाम में काफी समानता रखते हुए किस्म के बारे में भ्रम उत्पन्न करके उस पंजीकृत किस्म का उपयोग करता है, बेचता है, निर्यात करता है, आयात करता है या उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी।

92	**यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी प्रजनकों के अधिकार का उल्लंघन करती है तो उसके लिए क्या कोई दंड है?** हाँ, जैसा कि उपरोक्त प्रश्न 91 में बताया गया है प्रजनक के अधिकारों का उल्लंघन कानूनी कार्रवाई की अनुमति देता है। इसके लिए हानि की क्षतिपूर्ति अथवा लाभ में भागेदारी की प्रार्थना करते हुए जिला न्यायालयों में मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। ऐसे अपराधों के लिए निम्न दंड निर्धारित किए गए हैं : 1. मिथ्या नाम से किस्मों को बेचना : 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और/अथवा 50,000 से 5,00,000 रुपये तक का दंड 2. पंजीकृत किस्म का मिथ्या प्रस्तुतीकरण : 6 माह से 3 वर्ष तक का कारावास और/अथवा 1,00,000 से 5,00,000 रुपये तक का दंड 3. बारंबार अपराध : 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास, 2,00,000 से 20,00,000 रुपये तक का दंड 4. कंपनियों (कंपनियों के अधिकारियों के लिए भी समान रूप से लागू होता है और उन्हें भी पद/उनकी पहचान के अनुसार दंड दिया जाता है) द्वारा प्रजनकों या किसानों से अधिकारों के विरुद्ध किया गया अपराध। कोई भी व्यक्ति/कंपनी का स्वामी किए गए अपराध की सीमा के अनुसार दंड पाने का पात्र है, इसके लिए चाहे कितने ही वर्षों का कारावास या दंड दिया जा सकता है।
93	**क्या दंड युक्त बीज परिभाषा में बीज प्रमाणीकरण लेबल भी आता है?** ब्राण्डयुक्त बीज या पौध सामग्री का अर्थ किसी ऐसे लेबल या चिह्न से युक्त पैकेज या पात्र में उसे रखना है जिसमें पंजीकृत किस्म का नाम दिया गया हो और यह उल्लेख हो कि उस पैकेज या पात्र में अमुक किस्म के बीज/रोपण सामग्री उपलब्ध है। इसका अर्थ बीज की किसी अन्य गुणवत्ता से संबंधित प्रमाण–पत्र के लेबल से नहीं है । तथापि, ऐसे प्रमाण–पत्र में यह संकेत दिया जा सकता है कि किसी निश्चित नाम से पंजीकृत प्रमाणित/प्रजनक/आधारभूत अथवा सच्चे लेबलीकृत बीज की एक निर्धारित मात्रा मौजूद है, तभी केवल उसे ब्राण्डयुक्त बीज माना जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी पंजीकृत प्रजनक अथवा उसके एजेंट अथवा उसके लाइसेंस धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पैकेज पर पंजीकृत नाम/चिह्न/उल्लेख का उपयोग करना भी बीज के ब्रांडीकरण करने जैसा ही है और इसकी अनुमति नहीं है।
94	**किसी पंजीकृत किस्म के अनिवार्य लाइसेंस आमंत्रित करने के मामले में क्या इसका यह अर्थ है कि प्रजनक के लिए उसकी अपनी किस्म हेतु रायल्टी निर्धारित करने की संभावना समाप्त हो गई है?** अनिवार्य लाइसेंस के लिए आदेश देने का प्राधिकरण का अधिकार कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत है जो इस प्रकार हैं : (1) किसी किस्म के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि के बाद 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय कोई भी व्यक्ति जो प्राधिकरण को आवेदन देने में रूचि रखता है और यह आरोप लगाता है कि किस्म के बीज अथवा अन्य रोपण सामग्री के लिए जन–सामान्य की उचित अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं किया गया है अथवा किस्म का बीज या प्रवर्धन सामग्री उचित मूल्य पर जन–सामान्य के लिए उपलब्ध नहीं है तो वह उस किस्म के बीज या अन्य प्रवर्धन सामग्री का उत्पादन, वितरण और बिक्री करने हेतु अनिवार्य लाइसेंस दिए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। (2) उप धारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन में आवेदक की रूचि की प्रकृति से संबंधित विवरण होना चाहिए और वे ब्यौरे भी होने चाहिए जो निर्धारित किए गए हों और उन तथ्यों को बताते हों जिनके आधार पर आवेदन दिया गया है। (3) प्राधिकरण, केन्द्र सरकार से परामर्श के बाद तथा ऐसी किस्म के प्रति विरोध दाखिल करने के

	लिए प्रजनक को अवसर देने के प्रति संतुष्ट होने व संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात् किस्म के संबंध में सार्वजनिक अपेक्षाओं के उचित रूप से न पूरे होने अथ्वा किस्म के बीज या अन्य प्रवर्धन सामग्री के उचित मूल्य पर जन–सामान्य के लिए उपलब्ध न होने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रजनक को लाइसेंस स्वीकृत किए जाने हेतु आवेदन देने की अनुमति दे सकता है। इसके लिए वह उचित नियम व शर्तें बताते हुए पंजीयक को ऐसे आदेश की प्रति भेजकर यह निर्देश दे सकता है कि उपरोक्त उप धारा में उल्लिखित आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क अदा किए जाने पर धारा 28 की उपधारा (4) के अंतर्गत आवेदक को लाइसेंस दिया जाए।
96	**किसी विदेशी कंपनी को भारत में अपनी किस्में पंजीकृत कराने के लिए किन–किन अपेक्षाओं को पूरा करना होगा?** इसके लिए केवल एक शर्त आवश्यक है जिसके अंतर्गत किसी विदेशी कंपनी को या तो अपना एजेण्ट नियुक्त करना होगा अथवा पंजीकरण के पश्चात् भारत में सेवा के लिए अपना स्वयं का भारत में कार्यालय स्थापित करना होगा।
97	**क्या पंजीयक, पीपीपी और एफआरए विदेशी मूल की किस्मों के मामले में डीयूएस के लिए जिस किस्म का पहला ही परीक्षण किया जा चुका है, उसके लिए विदेश से प्राप्त कोई डीयूएस आंकड़े स्वीकार कर सकता है?** नहीं, ये आंकड़े भारतीय दिशानिर्देशों के अनुसार और भारतीय मानदंडों के अनुसार होने चाहिए। ऐसा होने पर ही किसी विदेशी मूल की किस्म के पंजीकरण पर विचार किया जा सकता है।
98	**यदि किसी किस्म के लिए सबसे पहले आवेदन भारत में किया गया हो तो क्या किसी पौधा किस्म पर प्राथमिकता के आधार का दावा करने के लिए किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है?** यदि संबंधित देश समझौते वाला देश (जैव विविधता समझौते का सदस्य देश) है तो आवेदक समझौते वाले देश में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से संबंधित प्राथमिकता के अधिकार का दावा कर सकता है, अन्यथा नहीं।
99	**विदेशी आवेदक के मामले में स्थल पर डीयूएस परीक्षण किस प्रकार किया जाता है?** भारत के बाहर वृक्षों/रोपण फसलों और लताओं के पंजीकरण हेतु आवेदनों के मामले में भारतीय स्थान पर स्थल डीयूएस परीक्षण हेतु रोपण सामग्री आवेदक द्वारा उपलब्ध करानी होती है।
100	**क्या पंजीकरण की 15 या 18 वर्ष की सुरक्षा की अवधि, जैसा भी मामला हो, बीत जाने के पश्चात् किसी पौधा किस्म का किसी भी श्रेणी में पंजीकरण (पुनः पंजीकरण) कराना संभव है?** नहीं। भारतीय विधान पंजीकरण के माध्यम से अधिक से अधिक 15 या 18 वर्ष की अवधि, जैसा भी मामला हो, के लिए सुरक्षा की अनुमति देता है। किसी पंजीकृत किस्म की सुरक्षा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पादप किस्म को सार्वजनिक क्षेत्र में पहुंचने का पात्र माना जाता है अर्थात् उस किस्म के प्रति पहुंच, उसके उपयोग व विपणन निर्बाध रूप से किया जा सकता है तथा इसके लिए मूल पंजीकृत प्रजनक से किसी प्रकार का प्राधिकार या अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। पीपीवी और एफआरए (2001) के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा सुरक्षा की अवधि बीत जाने के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र में पौधा किस्मों पर न तो किसान का न प्रजनक का अथवा किसी पूर्व उपयोगकर्ता का संबंधित अधिकार नहीं रहता है तथा वह जन–सामान्य के लिए निःशुल्क पहुंच योग्य हो जाता है।